THE MARRIED WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 1994 —Contd.

श्री ईश दत यादव (उत्तरप्रदेश): मादरणीय उपसभाध्यक्ष जी १ दिसंबर, 1994 कं विवाहित स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1994 जिसे श्रीमती वीणा वर्मा जी ने इस सदन में प्रस्तृत किया मैंने अपने विचारों को विस्तार मे रखा था लेकिन कुछ सुझाव या संशोबन जो मैं देना चाहता या वे पूरे नहीं हो सके थे। मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्रीमती वीगा वर्मा जी ने इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत क के ग्रीर सरकार का ध्यान इस श्रीर ग्रावधित करके बहुत ग्रन्छ। काम किया है। परन्तु श्रीमती वीणा वर्मा जी संभवतः इस विद्येथक को वापस ले लेंगी। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तृत करने के लिए इससे सरकार का ध्यान विवाहित महिलाओं की सथ-स्याओं की भ्रोर गया है और मैं चाहूंगा कि सर-कार निकट भविष्य में इसे प्राथमिकता दे करके इस तरह का कोई विधेयक सदन में ले आए ताकि आज समाज म महिलाओं की जो उपेक्षा है और विशेषकर विवाहित महिल ओं की जो उपेक्षा है, वह भविष्य में उपसमाध्यक्ष जी, जब भी किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने परिवार में जाती है अपने पतिके साथ जाती है तो उस परिवार में उसका संपत्ति में कोई अधि-कार न रहते के कारण जितन। अधिकार उसका होना चाहिए, जितना सम्मान उत् परिवार में होना चाहिए, वह उसे नहीं मिलता है। इसके लिए में सरकार को दो सुझाव देना चाहूंगा । सबसे पहले तो सरकार को भूमि-सुधार इस देश के ग्रंदर लागू करना चाहिए क्योंकि मान्यवर प्रगर इस तरह का कानून बना भी दिया जाता है तो इस देश में लगभग 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास कि स्वयं की कोई संपत्ति ही नहीं है या मानूली सी संपति है। उनके पास एक एकड़ जमीन है, डेढ़ एकड़ है, तो दो एकड़ है या कुछ मकान है, झोंपड़ा है-तो उस विवाहित महिला को भी उतमें अधिकार देन से भी क्या होगा। इसलिए इस देश की सबसे विकट और गंभीर समस्यायह है कि भूमि-सुधारों को लागू नहीं किया गया है। आज इस देश में बड़े-बड़े भू-पति हैं जिनके पास कि हजारों हजार एकड़ भूमि है और

दूसरी तरफ ऐसे लोग है जिनके पास कि बिलकुल भूमि नहीं है, नगण्य भूमि है या एक एकड़, दो एकड़ भूमि है। उपसंगाध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जनींदारी उन्मूजन कर के यह प्रयास किया था और 1 जुलाई, 1992 को जब उन्होंने जमींदारी एबें।लीशन एक्ट को लागु किया था तो काफी हद तक इस देश में भूमि सुबार लागू हुआ था लेकिन जसींदारी एवोली शन एक्ट में भी महिनाओं को अधि-कार नहीं मिला-न बेटी को ग्रधिकार मिला श्रीर न पत्नी को श्रक्षिकार मिला। श्रधिकार देने की बात भी उस कानून में तब है जवांक पिता मर जाए और कोई लड़का न हो तो बेटी को हक मिल सकता है और यहां जब पति मर जाये तो पत्नी को जनीन में अधिकार मिल सकता है। मैं चाहता हं और सरकार को यह प्राथमिकता के आधार पर करना भी चाहिए देश की ग्रर्थ-व्यवस्था का सुदृढ़ करने के लिए देश की ग्राधिक स्थिति को सुबारने के जिए । फिर इसमें महिलाओं का भी कल्याण हो जाएगा। उपसभाध्यक्ष जी, स्राज देश के ग्रन्य जो प्रदेश हैं. वहां पर भूमि-सुधार लागूनहीं हुआ है। तो सरकार को पहले भूमि-मुद्यार कानुन लाग् पड़ेगा ग्रौर तभी महिलाएं जब वे अपने परिवार में जाएंगी, अपने पति के घर ज एंगी, तो वह कुछ संपत्ति की हकशर हो ज एंगी, मालिक हो जाएगी। दूसरे में सरकार से निवेदन करना चाहुंगा कि अगर लरकार इस तरह का कोई विश्वेषक जाती हैं तो इस विधेयक को छानबीन कर के सावधानी से बनाना पड़ेगा क्योंकि कानून में तलाकया डायबोर्सका भी प्रोवीजन है । चाहे वह टेनेंसी लॉ हो, चाहे हिन्दू लॉ हो या चाहे जो भी क। नून हो डायवासे का प्रोवीजन है और मान्यवर डायवोसे दोनों तरफ से हो जाता है, तलाक दोनों तरफ से हो जाता है। अदालत के फैसले से तलाक होता है और कुछ ज्वानी भी हो जाया करते हैं। इसलिए कानून इस तरह का वनना चाहिए कि कहीं पत्नी संपत्ति लेने के लिए ही न किसी बड़े परिवार में चली जाय। वह वहां डायवीर्स करके चली गयी ग्रौर उस संपत्ति की मालकिन बन गयी तो उस कानून में थोड़ा सा एहतिथात बरतना पड़ेगा, प्रोविजो बनाना पड़ेगा श्रौर इस तरह का प्रावधान करना होगा खि श्रगर पत्नीकी स्वेच्छा मेघापत्नीकी ग्रारिसे डायबोसं होता है और अगर इस परिवार में

जाने के बाद उम महिला को पति की संपत्ति में ऋधिकार मिला है तो ज्योंही डायवोर्स होगा नुरंग उसका वह श्रधिकार भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह की भी कानन में व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान्यवर, ग्राज इस देश में मिंदिनात्रों की जो घोर उपेक्षा है, इसका मुख्य कारण यही है कि उन्हें कोई ग्रधिकार नहीं रह गया है। इसलिए ऋजि महिलाको पूरुष के ममान ग्रधिकार देने की आवश्यकता है क्योंकि महिल को कितने में दिनों से, अनादि काल मे पुरुष के समान ऋधिकार नहीं दिया गया । महिला को हमेणा कमजोर समजा गया, उपेक्षित समझा गया, दासी समझा गया, नौकरानी समझा गया । आज भले ही अच्छे परिवारों में, सम्य परिवारों में या बढ़े हए परिवारों में या संपन्त परिवारों में महिला का सम्मान हो, मगर संपत्ति में उसका अधिकार नहीं है। जब तक उसे संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, तब तक महिला का इस देश में न सम्मान बढ़ेगा. न स्वाभिमान बढ़ेगा श्रीर न उसका मधिकार बढेगा।

मान्यवर, मैं कोई लंबी वात नहीं करना चाहता, मैंने पिछती बार ही प्रपती सारी बात कही थी और जब केवल इन्हीं दो सुझावों के साथ मैं वीणा वर्मा जी के इस विधेयक का स्वागत भी करता हूं और समर्थन भी करता है। में दीणा वर्मों जी से यह कईंगा कि वह इस विधेयक को वापस लने की कृपा न करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। श्रगर किसी तरह से वीणा वर्मा जी इसे वापस ही जे लेती है तो हमारे कानून मंत्री जी, जो बड़े विधिवेतना भी हैं और जो देश की महिलाओं की समस्ाग्रों को भी समझते हैं, उनके हृद्ध में भी दर्द है, मैं उनसे चाहुंगा कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस तरह का कोई विधेयक संसद के अंदर लाएं और इस देश के अंदर कोई ऐमा कानून बनाएं, जिससे महिला को पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाए ग्रीर संपत्ति में बराबर का श्रधिकार दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गाम रतन राम (उत्तर प्रदेश): उप-सभाध्यक्ष जी, वीणा वर्मा जी ने जो यहां विधेयक विवाहित नारी के श्रिधिकार के बारे में रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए

खड़ा हुआ हं। सामाजिक जीवन में नारी के ग्रनेक रूप हैं। पिता के घर में वह प्रती होती है, बहन होती है और शादी होने के बाद वह पत्नी हो जाती है, बहू हो जाती है, भाभी हो जाती है और इस तरह उस के पद में परिवर्तन हो जाता है। शादी हो जाने के बाद वह अपने पति के घर रहती है और उसके वंश को चलाने के लिए संतान पैदा करती है। उसकी पैदा की हुई संतान को तो श्रधिकार मिल जाता है, लेकिन उसको खुद को ग्रधिकार नहीं मिलता। वह अधिकार से वंचित रहती हैं, चाहे अपने पिता के घर में हो या फिर अपनी ससुराल में हो। सारा कब्ट सारा परिश्रम करने के पश्चात् भी, ससुराल का सारा घर चलाने के पश्चात् भी वह अपने अधिकार से वंचित रहती है। यह एक बड़ी विद्वना सी

महोदय, हमारे समाज में पुरातन काल से हम अपनी महिलाओं से केवल त्याग, तपस्या और कड़े परिश्रम की अपेक्षा करते आए हैं अगर पत्नी का आचरण ठीक है तो सही है और अगर उसमें जरा भी दोष आ जाता है तो उसके प्रति अत्याचार होने लगते हैं। एक महिला की सबसे बड़ी चीज जो है वह उसकी अस्मत है। अगर उसकी अस्मत पर जरा भी आंच आती है तो वह समाज से च्युत हो जाती है, पित के यहां उसको स्थान नहीं मिलता, पिता के यहां उसको स्थान नहीं मिलता। वह समाज से बहिब्कृत हो जाती है।

पुरुष के साथ यह बात नहीं है। वह चाहे कितना ही कलंकित जीवन व्यतीत क्यों न करे, वह एक अधिकृत व्यक्ति है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। पत्नी के सती होने का तो प्रावधान है लेकिन पत्नी के मरने के बाद पति के सती होने का प्रावधान कहीं, किसी समाज में नहीं है। सीता को भी ग्रग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, राम को नहीं। एक मामूली आदमी की शिकायत पर सीता को वनवास जाना पड़ा था भ्रौर परशुराम को पिता के कहने पर **ग्रपनी** माता की हत्या तक करनी पड़ी थी, फिर भी वह समाज में पूज्य बने रहे श्रौर श्राज तक, श्रभी तक वर्तमान समाज में भी स्त्री को सम्मान देने के काबिल हमारी मानसिकता

[श्री राम रतन राम]

बनी नहीं है। अभी हाल ही में पिछले साल शंकराचार्य जी ने वेद पड़ने से एक महिला को वंचित किया था, यह विचार प्रकट किया था, यह उनकी मानसिकता थी और यह उनकी विकृत मानसिकता को प्रकट करता है। चाहे कोई कितना भी धार्मिक क्यों न हो, नारी के मामले में वह उसी मानसिकता का शिकार हो जाता है जो सनातन काल से चली आ रही है और उसे उसका राइट अदान करने के लिए हम यहां पर खड़े हुए हैं। मान्यवर, हमारे कई वक्ताओं ने तुलसीदास की चौपाई की व्याख्या की ह:—

ताः ढोल, गवार, शुद्ध ग्रौर नारी ये सब ताड्न के श्रधिकारी

हमेशा नारी को शूद्र क बराबर पशु के बराबर या उसके समकक्ष रखा गया है। तुलसीदास की और किसी चौपाई का इंप्ली-मेटेशन हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन इस चौपाई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यदि किसी स्त्री को पीटना हो तो इस चौपाई को पढ़ लीजिए और पिटाई कीजिए। किसी शूद्र को पिटना हो तो इस चौपाई को पढ़ लीजिए और पिटाई कीजिए और ढोर के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। तो जहां तक इन दो जीवित प्राणियों की बातें हैं, इस मंत्र को पढ़ा और उनकी ठुकाई शुरू कर दी।

बाबा साहब डा० ग्रम्बेडकर साहब ने जब संविधान की रचना की थी तो उन्होंने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से नारी को अधि-कार देने की बात कही थी भ्रौर उनकी वडी इच्छा थी कि भारतीय नारी को अधिकार दिया जाए उसके पति की ग्रोर पिता की सम्पति में । हिन्दू कोड बिल की बड़ी चर्चा हुई थी 1947-48 के जमाने में। समाज में एक विद्रोह सा खड़ा हो गया था और उन्होंने इसका नाम हिन्दू कोड बिल की जगह हिन्दू कोढ बिल रखा था। लेकिन जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग थे ग्रौर यहां तक कि नेहरु जी ने कहा था कि यदि हिन्दू कोड बिल पास न हुम्रा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब हिन्दू कोड बिल पालियामेंट में पेश हुआ तो इतना उसका विरोध हुम्रा कि नेहरू जी भी डगमगा गए और हिन्दू कोड बिल पास न हो सन्ता और

डा. यन्बेडकर जी की यह इच्छा पूर्ण न हो सकी और एक कारण यह भी या जि.की वजह से उन्होंने रिजाइन किया था। उसी समय चीन ने भी स्वतंत्र ता प्राप्त की थी। 1948 में और वहां पर भी सामन्त्र गाही प्रवृतियां थीं, नारियों को दासता की वेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वहां पर चीन वानों ने एक कानून बनाया और उन्होंन यह लिवा प्राने कांस्टो-द्युशन में:——

"The People's Republic of China abolis es the feudal system which held women in bondage. Women shall enjoy equal rights with men in political, e.onomic, cultural, educational and social spheres, and freedom of marriage for men and women shall be enforce 1."

श्रीर इस को उन्होंने बड़ी संब्ती से लागू किया। नरश्रीर नारी की, पुरूष श्रीर स्त्री को बराबी के स्तर पर लाने के लिए चीन ने इस कानन को बड़े ही जोरों से लागु किया। श्रीर उसका नतीजा

3.00 р.м. यह हो गया कि चीन निरन्तर प्रगति के पर्थ पर जलतः रहा । नेहरु जी

को बड़ी चिंता हुई कि इंटरनेशनल पौलिटिका फीन्ड में उनकी है को धन्का लग रहा उनको कहा जा रहा है कि प्रोग्रेसिव होने की जो उनकी छवि थी उसमें कुछ कठिनाई हो रही थी, तो उन्होंने भी हिन्दू नारियों के लिए भारतीय स्त्रियों के लिए कानुन बनाने का प्रोग्राम किया । हिन्दू कोड बिलः तो पास ′नहीं हुग्रा । लेकिन उसके पार्ट को, उसको पार्ट करके उन्होंने पास किया ग्रीर स्त्रियों को उनके ग्रधिकार दिए गए। हमारे समाज में जिस रामायण में—-''ढोल गंवार शुद्र पशुनारी'' का जिक्र किया है वहां पर एक चौपाई ग्रौर भी है।

"ग्रनुज वध् भगिन मुत नारी, सुन तर कन्या यह समचारी । इनहि को दृष्टि विलोकहि जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई।"

जो दृष्टि उन्होंने वताई है कि कितनी पावत दृष्टि है स्तियों के प्रति, स्त्रियों की रक्षा करने के लिए समाज ने जिस्मे-दारी भ्रपने ऊपर ली भ्रौर इनके ऊपर कोई कुद्धि से देखेगा उसको उन्होंने हनन करने का ग्रिधकार दिया गौर इसी ग्रिधकार को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि समाज में नारी को उसका ग्रिधकार मिलता चाहिए। मां के रूप में जो वर्णन किया गया है, करण ध्यथा भी कही गई है:

"अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानीं" आंजल में है दूर और आंखों में पानी।"

लेकिन जहां माता की करूणा का वर्णन करने का सवाल ग्राया है, तो इतना मर्म स्पर्शी बयान है कविता के रूप में:

> 'प्रभृ ईशा की क्षनाशीलता, नवी मोहम्मद का विश्वास

जीव दया जिलवर गौतम की, आस्रो देखें इसके पास ।

परिचय पूछ रहे हो मुझसे कैंसे दूं उसका, वही जान सकता है माता का है दिल ाजसका।

इस प्रकार भाता की कितनी पवित्र तुलना की गई है और उसी माता को उसी परिवार में उसकी सम्पत्ति से बंचित किया जाता है। तो मेरा यह विचार है कि जहां पर स्त्री का संबंध है, शादी होते हा उसके पति की सम्पत्ति में उसका श्रिधकार हो जाए। यदि पति के पास कोई सम्पत्ति नहीं है श्रीर उसके बाप के नाम पर है पैतृक सम्पत्ति, जिस पर उसके पुत्र का भिधकार होता है, उस सम्पत्ति में उसका भी श्रक्षिकार होना चाहिए । क्योंकि शनदी के बाद वह उस परिवार की सदस्य हो जाती है, वह बंश की जननी होती है, उसके द्वारा ही वश चलता है । वंश को चलाने की जिम्मेदारी माता को धिषार मिलना चाहिए । जैसे ही वह शादी होते ही घर में कदम रखती है, उसका ग्रधिकार वहां सुरक्षित चाहिए। हमारे यादव जी ने कहा । ठीक है, जब कानून बनेगा तो सारी चीजे देखी जायेंगी । लेकिन सम्पत्ति की जहां बात ग्राती है शादी होते ही उसको सम्पत्ति का प्रधिकार मिलना चाहिए। तभी सही होगा।

मान्यवर, मै चकराता की बतलाता हूं। चार साल पहले एक महिला न मुझसे मजाक ही मजाक में कहा था कि लड़के ही बारात ले जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं? लड़कियां ही विदा होती हैं, लड़के क्यों नहीं विदा होते ? इसमें लड़िकयों की माता को कि तना दर्द होता है। हमारे यहां देहरादून में चकराता एक सब-डिविजन है। वहां मैं दोसाल रहा। वहां पर लड़िकयां बारात लेकर जाती हैं। जब लड़िकयां बारात लेकर ग्राती हैं तो लड़के वाले लड़की के बाप को रुपया देते हैं कि तुम हमारे जड़के से आसी कर लो । शादी होने के बाद जैसे ही लड़की गर्भवती हो जाती है तो समाज में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब वह मके भ्राती है तो उसके समाज के लोग उ**सके** पिता के पास एप्रोच करते हैं कि इस गर्भवती लड़की को हमारे पास भेज दो। कितनाही रुपयालेली जितना तुमने खर्च किया है, उससे दोग्ना, तीनग्ना ले लो, लेकिन लड़की को हमारे पास भेज दो । लड़की चली जाती है और इस प्रकार बच्चा कहा का, गर्भवती कहां होती है, बच्चा कहां पैदा करती है भ्रीर जश्न कहां मनाया जाता है। वहां पर लड़िकयां जलाई नहीं जाती हैं। वहां पर लड़िकयां विश्ववा नहीं होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह सिस्टम यहां पर लागू हो लेकिन जहां, जिस समाज में लड़िकयां जलाई जाती हों, जिस समाज में विधवा का ग्रपमान होता हो, उस समाज में परिवर्तन बहुत ही ग्रावश्यक है । परिवर्तन होना चाहिए, विधवा-विवाह होना च।हिए । लोग इसकी मनाही करते हैं हालांकि चल रहा है लेकिन यह होना चाहिए। चकराता में यह बात है कि वहां पर पॉलीगैमी फैली हुई है, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन वहां पर लड़िकय जलाई नहीं जाती । शादी होने के वक्त पंडित जी जब श्रात हैं विवाह के दिन मुद्दर्त के लिए तो ग्राप उनसे यह भी तो पुछिए कि लड़की जलाने का मुहुर्त कब निकलेगा, जिसमे यह मालूम पड़ जाए कि लड़की कब जलाई जाएगी? लड़की क्यों जलाई जाती है ? बातें ऐसी हैं बिडम्बनाएं हैं जिसमें कि लड़की को धिषकार जब तक सम्पत्ति मे श्री राम रतन राम ] (कमानत)

नहीं मिलेगा, उसको जलाना बंद नहीं हाना, उसको प्रताइना बंद नहीं होगी इसलिए वीणा वर्मा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

\*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the spirit with which Married Women (Protection of rights) Bill, 1994 has been brought for discussion here. I appreciate the anxiety with which the hon'ble lady Member has brought this Bill.

We have been demanding for more rights and equality for women. In that direction, this Bill seeks to provide equal rights to married women, There can't be any difference of opinion as regards equality of women is concerned. With the change of time, demands for rights of several kinds increase. Even this morning we were discussing about repealing TADA. The voice of the Hon'ble Members was stern and assertive because it concerns humanrights.

During Sangam age, women had enough rights in the Tamil land, Mr. Vice-Chairman, Sir, you know well what our Sangam poetry says. Even as far back as in Sangam age, love marriage was recognised by the society. In a poem from Sangam literature a lover tells his beloved:

Our mothers don't know each other

Nor our fathers ever saw one another:

Even we were strangers before we met

But like rain drops that fall down And take the colour of earth while flowing.

Our loving hearts too have united.

.

But later when the society slowly began to refuse rights to women throughout the country, Tamilnadu too 'fell a victim and women's rights were curtailed. Yet there have been lot of efforts to relieve women from the yoke of social injustice and slavery. As one wedded to the dravidian movement that has been in the forefront of social reforms. I wish to say a few words about this movement. It was our late lamented leader Thanthai Perivar who launched the self-respect movement to relieve men from the clutches of superstitions and social injustice. He paid special attention for the emancipation of women for he thought that only liberated women would be able to contribute in making a healthy society. That is why Mr. E. V. Ramasamy was given the title Periyar' (great man) by the women folk. In a conference held at Virudhunagar, Periyar said that even while addressing women the gender difference should not be shown. At a time when women were confined to the kitchen, he said that should be treated and called as "friends' just as men.

As great poet of the self-respect movement Bharathidasan lamented:

Why do you treat women folk Worse than that of dust?

He was of the firm opinion that men folk cannot surge ahead as long as women are in fetters. Another great poet Subramanya Bharathi had said much beforce: "Let us, men women, live with equal rights and mutual respect." In his thought, Bharathidasan was out of step with his contemporaries. Even when family planning was not thought of, he said:

I shall make this world congenial For lovers to live in And shall find a way

So that they plan their family.

<sup>\*</sup>English translation of the original speech delivered in Tamil.

Since I come from such a movement I wanted to take part in this discussion.

Sir. when D.M.K. was in power in Famil nadu, our great leader Anna, as the Chief Minister of Tamil-Nadu enacted the Self-respect riage Act. D.M.K. Government also encourage inter-caste marriage widow re-marriage. Medals grants were given for such marriages. Even some sixty years before, as a mark of respect to women, self-respect movement's conference was presided over by a woman. I am constrained to say all this because, women Tamil Nadu have come to possess certain rights today as a result of this movement.

There were several social reformers like Rajaram Mohan Roy and Jyothibai Bule on the national scene well In Tamilnadu, we had Periyar. Anna and Dr. Kalaingnar in the vanguard of social reform movement. Few years back, before the D.M.K. Government was dismissed in unjust manner, our leader Dr. Kalairgnar enacted a law providing right to property to women. Although there are laws in India giving right to property to women, a fool-proof law was enacted in Tamilnadu to give economic independence to women. I ake pride in saying that our D.M.K. Government has done that.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the moustor called dowry is on its prowl to this day in spite of laws passed long before to eradicate it. The antidowry act cames into play only after the tragedies of dowry-deaths I would request crualties. Hon'ble Minister to see if something could be done to prevent dowry related cruelties and deaths. Gone are the days when women were confined to the kitchen. Now women are working in several sectors. Mrs. Indira Gandhi presided over destiny of our nation for many years. I don't want to cite more such examples. I only wish to point out the discrimination meted out to women employed in private sector. We all know that they are not treated like their counter parts in Government service. I hope the Hon'ble Minister will take necessary steps to render them justice. Even the two-month maternity leave given to women in Government service is not enough. In some countries three to six months maternity leave is given. I feel that women should be given at least three month maternity leave keeping in mind the hardships they have to go through. Women in unorganised sectors do not get even minimum wage. Particularly those who engaged in drudgeries are exploited. When they grow old and become incapacitated they have no means for sustenance. So 'request the Hon'ble Minister to prepare a comprehensive scheme to protect the interest of these unfortunate women.

It is said that illiteracy would be eradicated in 12 years. I don't know how far we will succeed. Now we have adult education programmes all over the country. Even such literacy programmes benefit mostly men folk. Attendence of women is poor because of various social considerations. I visit such literacy mission schools and I know these facts very well. Therefore, the Government should steps to see that more women are brought under the literacy mission programmes. Realising the tance of educating women Bharathidasan said:

Illiterate mother is like brackish land where weeds can grow not visionaries.

Even in the field of employment women have not been given adequate representation. While I say this I am reminded of one thing. For the physically handicapped, we have reserved I to 2 per cent in job opportunities. But that is not complied with in practice when a physically

[SHRI J. S. RAJU]

handicapped person goes for an interview for posts reserved for the handicapped, the officials ask him whether he can ride a bicycle or catch a thief. They are being treated this way and the vacancies are not filled. Same is the case with women. Keeping these difficulties in mind, our D.M.K. Government resolved to appoint only women as primary teachers and we did so as long as we were in power, 1 don't know if it continues now.

Sir, it is a pity that police stations are no more symbol of protection, particularly for women. This is the tase throughout the country. But in Tamilnadu it is still worse. What happened to Padmini in Chidambaram and tribal women in Vachathi are only tips of the ice bag. As Bharathidasan would say:

"like the temple priest who stole the idol and vanished," so is the case with policemen today. Today no woman can walk into the police station and lodge a complaint fearlessly in any part of the country. And it is still terrible in Tamil-"hadu. Mahatma Gandhi once said that only a day when a woman, wearing all her jewels, is able to walk on the streets fearlessly at nights can really be called the day of freedom. But we must admit that we are yet to see that day, Today it has become dangerous wear even fake jewels. In Tamilnadu, each day one can see incidents of theft. It is on the increase now. Even mangalsutra of women are snatched away. When a woman opens the door to answer the call, her chain or even mangalsutra snatched away to her shock and surprise. Such is the situation today.

Sir, I will make one more point and conclude, Mr. V. P. Singh implemented the Mandal Commission recom-

mendations regarding reservation for the backward classes. While south accepted this, north the protested. This because, is the south in Tamilnadu in particular. There has come a general awakening due to the self-respect and social reforms movements. But the north, even students of north, did not accept. is regarded as taboo to say north But I am only stating a statement of fact. In the south no party can come to power unless it supports reservation. But on the contrary, in the north in party can come to power only if it oppose reservation. This signifies difference in the level of awakening the society Yet when we talk of the difference between the north and the south you become angry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I am not angry. I, indeed appreciate your sentiments.

SHRI J. S. RAJU: Sir. You know well whom I am referring to.

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman. Sir, I think you have this feeling because the Hon'ble Member has been referring to Bharathidasan of your state.

VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARA-YANASAMY): I thank Mr. Raju for that.

SHRI J. S. RAJU: I am also thankful to you for your gesture. Sir, when you are in the Chair. I feel so happy that I am tempted to speak more.

Sir. I am only impressing upon point that the mind of the society has to be changed Enacting laws won't help Rajaram Mohan Roy fough, against sati all his life But today sati in practice in several thern states like Rajasthan. 'A leader who supported sati was a Member this House; he was even Minister some time. These are the realities. A number of politicians and Ministers visit the 50-called religious gurus and bow in reverence before them. Then what to talk of social reforms. That is why I

have been emphasising on reasoning and awakening as the first step towards social reforms.

The Hon'ble lady Member brought this bill for discussion keeping in mind the larger interests of women folk. She has incorporated several points in the bill. But we know these points concern the society at large. They can't be implemented just through Government machinery, I do appreciate the behind the bill. Yet we have practical difficulties in our ciety. For example, even when a petition is filed for divorce, the judge gives enough time to the couple to see if they could patch up and live together once again. Again it might be difficult to ascertain the views of the wife on every matter as referred to in the Bill. As I conclude I once again welcome the spirit behind the Bill

थी जनेश्वर मिधः (उत्तर प्रदेश) जिपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वीणा वर्मा जी को बधाई देना चाहता हं यह जानते हुये कि उन्होंने जो प्रयास किया है उसका हश्र क्या होगा। लेकिन यह महान सदन इस बात को इस देश की जनता तक जर्रूर पर्चायेगा। यहजो सदी अभी बीत रही है, इसमें कई लडाइयां एक साथ छिडीं थीं । उपनिवेशवाद के खिलाफ तो ज्यादा जीत ली गई. लड़ाइयां बहुत कहीं-कहीं म्रार्थिक गैरबराबरी के खिलाफ गई हैं, कहीं कहीं भी लडाइयां जीती **पैदा**इश की गैरबराबरी के खिलाफ या जाति वाली लडाइयां जिसको कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं, वह भी जीती गई हैं, कहीं कहीं तादाद की गैरवराबरी, मजहब के नाम पर कोई तादाद में कम, कोई ज्याटा, वह लड़ाई भी लड़ी जा रही है सारी दूनियां में, कहीं कहीं रंग के सवास पर भी लडाइयां जीती गई हैं । 21वीं सदी इन लडाइयों को बहत बारीकी से देखेगी । लेकिन डर लगता है वीणा जी कि 20वीं सदी खत्म होने तक यौन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, उस लड़ाई को मानव समाज जीत पायेगा । सारी दुनियां में महिलाश्रों का शोषण होता है। हिन्दुस्तान में हम

हिन्दुस्रों में थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन यह सारी दुनियां में होता है। एक तो हम लोग चुक गये हैं। जब कभी भी किसी देश में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता हैं भ्रीर बड़े राजनीतिक परिधर्तन के मायने जो चुनाव से सरकारें बदला भरती है, मैं उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, बड़ा राजनीतिक परि-वर्तन 100 साल, 200 नाल के कौम के संघर्ग के बाद जो परिवर्गन हुमा करता है, उसकी गर्मी में जो चाहे श्राप परिवर्तनकारी कदम उठा सकते हैं **भौ**र ग्रपनी बनता को उस रास्ते पर **ले जा** सकते हैं। यह जाम केवल सन 1947 में ही हो सकता था। उसके बाद जो ब्रादत पड़ गई उंसको सही रास्ते पर लाने श्रदालत में लेकर समाज की बनी श्रीर बिगडी मःनसिकता तक युगों का हुआ है जिसकी तरफ इतिहास पदा माननीय सदस्य ने इशारा किया है। जिसको हम लोग देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, मर्यादा पूरुषोत्तम कहते हैं, किसी के कहने पर उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। हमारे संस्कार हैं पुरुष प्रधान समाज के । ये जल्म के संस्कार हैं । एक दिन में राम।येण का सीरियल पढ़ रहा था। उसकी पत्नी के बेटे ग्रपने बाप के यहां यह कहने भाये कि हम ग्रापके बेटे हैं। तो बाप ने कहा कि क्या सबत है कि तुम हमारे बेटे हो । यह तुम्हारी मां को साबित करना पड़ेगा कि तुम हमारे बेटे हो। उस ब्राइमी को हमने अपने युग का देवता माना है, अपना खुदा माना है, श्रपना भगवान माना है। सन 1947 के बाद पंडित नेहरू के जमाने में हिन्दू कोड जिल ग्राया था। तो कट्टर हिन्दुवाद ने कसकर विरोध कियाथा। हम तो बच्चे थे सब । युनिवर्सिटी में बी-ए फर्स्ट इयर में पर् रहे थे। इलाहाबाद में प्रभुदत्त व्रहमचारी हुग्राकरते थे। किस तरह से जवाहर जाल नेहरू के खिलाफ भिड़े थे। लगता था जैसे नेहरू कोई काफिर है। उनकी नोतियों को में करता हूं । लेकिन उस समय नारी को **श्र**धिकार देने की बात चल रही थी । पुरुष प्रधान समाज, जमाने से

## [श्री जनेश्वर मिश्र]

एक धारा लेकर चला था दिमाग में, जिसमें कि नारी को गलाम बनाकर रखना था । भारतीय नारी पुरुष की गठरी या बकरी के ग्रलावा कुछ नहीं है । वह जहां-जहां जायेगा उसके पीछे जायेगी । उसको कोई अधिकार नहीं है । कहीं-कहीं किस्से मिलते हैं जिनसे दिल चौडा होता है। जैसे महाभारत के जमाने में जब भीष्म पितामह ने उपदेश देना शरू किया था - वड़े विद्वान थे, बढ़े बाण शय्या पर लेटे थे-बडी-बडी नीति भी बातें कह रहे थे तो द्रोपदी थोडा हंमी थीं । एसा न समझियेगा कि जो हम लोग सदन में कड़ी बात बोलकर झगड़ा शिया करते हैं उसी से किसी के दिल को चोट लगा करती है, व्यवस्था को. बड़ी न्यवस्था को बड़ी ताकत को मस्कराकर भी बोट दे दी जाती है। तो द्रोपदी न हंसकर भीष्म पितामह की हैसियत और उस नमय की समाज व्यवस्था को चनौतीदी थी। श्रर्जन बिगरे य तो भीष्म पितामह ने कहा था, नहीं नाराज मत होश्रो इस पर, यह हंम इसलिय रही है कि जिस दिन इसकी माडी खिंची जाही थी तो हमारी ये नीति नी बातें उस समय कहा थीं। तो इसको हम बताना चाहते हैं कि उस समय मैं कोरवों का नमक खाता था। मेरे खुन में लगातार वह था। अब वह खून वह चुका है इसलिये उसके बाद हम नीति की बात चला रहे हैं। केवल ब्रोपदी की हंसी से हिन्दू समाज की नारी को थोड़ी उम्मीद बंधती है। लेकित बीण। जी आप फिर पुरुष प्रधान ममाज के जाल में फंस गई है।यह जाल धर्म से नहीं, केवल रामायण, महाभारत से नही है। श्राप झांसी मे जाकर कभी देखियेगा। वहां पर एक मर्ति **है घो**ड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई की ग्रौर उसके नीचे पेडस्टल पर लिखा है "भारतीय नारी का गौरव महारानी लक्ष्मी बाई"। यहीं राणा प्रताप की मर्ति होगी. सभाव चन्द्र बोन की मूर्ति होती या शिवाजी की मींत होती तो उनको भारत का गौरव कहा जाता। लेकिन यह ग्रौरत की मर्ति है जिसने ग्राजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया । कलाभी बेईमानी करती

है ग्रौरा के साथ । केवल संस्कृति ने नहीं की है, केवल धर्मशास्त्र ने नहीं की है। श्रभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि शंकरा-चार्य ने एक भाषण रे दिया । शंकराचार्य मामुली किस्म के साधु हन्ना करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रौराों का वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। हमने धर्जन सिंह से एक दिन बात की थी कि इतनी बँडी बात है। वेद माने उच्च शिक्षा । किसी धर्मशास्त्र का बहत बडा पंडित बोज पाये श्रीर उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही न करे? श्रौर फिर हम पति की समता में नारी के घ्रधि-कार की चर्चा इस मदन में करें। गंगी सरकार के सामते। विधि मंत्री जी बैठे हैं। इतनी कड़ी बातें सफा दर सफा समाज में गुजरती जा रही हैं। हम केवल चर्चा अरते रह जायें। तो डिबेंटिंग सोमाइटी हम राज्य सभा को न बनायें, यह हम निवेदन करेंगे । वीणा जी से मैंने कहा ही है कि ब्राप अपना विधेयक गेश करते समग किर पहलों के जान में फंस गई है।

हिन्द्रस्तान का जो दलित है, अनुसुचित जाति को है वह बाकी लोगों के बराबर ग्रधिकार नहीं मांगता । वह विशेष ग्रधिकार मांगता है-ग्रारक्षण । जो पिछड़ा वर्ग है वह बाकी लोगों के बराबर श्रधिकार नहीं मांगता है। वह विशेष ग्रधिकार मांगता है-ग्रारक्षण । जिस मंडल कमीशन की अची ग्रमी माननीय सदस्य कर रहे थे उसमें पिठडों को, दलितों को विजेष अवसर देने की, ज्यादा मौका देने की समाज में जो कमजोर होता है . . . । यह एक स्थ्रित है, जिसमें ताकत नहीं हुआ करती है उसकी ज्यादा मौका दिया जाता है। घर में जो मरीज होता है, स्वस्थ ग्रादमी के मुकाबले एक गिलास दूध उसको ज्यादा दिया जाता है। वीणा जी, त्रापको तथ करना है कि हिन्दुस्तान की नारी कमजोर है या नहीं । भ्रगर बराबरी के दौर में परुष के मुकाबले उसको स्राप छोड देंगी ग्रपने इस विधेयक के जरिए तो पुरुष बराबरी का तो जैसे उसको गलाम बना कर रख्ता था रखेगा । ग्रगर बराबरी के दौर में ही हिन्द्रस्तान के ग्रनुसूचित जाति के लोगों को ग्राज छोड दिया जाए, मंडत कमीशन न लागू किया जाए, पिछड़ों को छोड़ दिया जाए तो हिन्दू समाज के झगड़े उन सब को खा जारेंगे। एक भी जगह नहीं लेने देंगे। यत्त सोचना पड़ेगा । यहां मर्द लोग ज्यादा बैठे हैं। ग्रगर समाज में कमजोर है दितित, कमजोर है पिछड़ा और उसको ज्यादा मौका दिया जाता है तो और त क्यो क्राप्तसे **मजब्**र हो करके बराबरी का हक मांग रही है ? इसलिए कि उसको मांगना नहीं क्या रहा है और मैंने कहा था उप-सभाड्यक्ष जी, कि शायद 21वीं सदी के ग्राखिर तक भी यैत के नाम पर जो गैर बनाबरी श्रीर शोष्ण चल रहे हैं उसकी हम लोग जीत नहीं सकते है । यहां विधि मंत्री जी बैठे हैं । वीणा जी भ्रयना विधेयक बापस ले लेंगी कांग्रेस पार्टी की हैं उनके नेता लोग दबाव डालेगे. लेकिन विश्व मंत्री जी को और इस पवित सदन को ईमानदारी से सोचना पड़ेगा कि हिन्दूस्तान की नारी क्या मर्दों की गठरी बन करके रहेगी? ऐसा नहीं है कि हिन्दुस्तान की नारी मदीं के मकाबले काम कम करती है, चुल्हा, चयकी, घास काटना, खेत में काम करना, जो कोई भी काम कहिए सब कामों में सब से भ्रागे रहा करती है । लेकिन वह हवम के बल पर काम करती है, ग्रयनी मर्जी से नहीं कर सकती उसका ग्रपना कोई अधिकार नहीं हुमा करता है । बेटा भी, बेटा भी जब मैं कह रहा हंती राजा राम चन्द्र जी का बेटा उनसे कहने के लिए कि हम ग्रापके बेटे हैं ग्रीर उस राजा राम चन्द्र मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज .न कहा था कि यह तुम्हारी मां को साबित करना पड़ेगा । अगर कानून ही बनाना है तो एक बार क्यों नहीं कानुन बना दिया जाता कि बल्दियत के नाम पर बाप का नाम नहीं बताया जाएगा केवल मां का नाम बताया जाएगा, फिर मां श्रधिकार ग्रपने <del>ग्राप्र ले खेगी । परिवर्तन करना है तो</del> कोई वडा परिवर्टन करना पड़ेगा ताकि दुनियां को वह यो हिन्दुस्तान पहले राह दिखाया करता था श्रौन के नाम पर शोषण के खिलाफ भी हिन्दुस्तान की पालियामेंट, हिन्दूस्तान की संसद् श्रीर हिन्दुस्तान की **जनता को को**ई ास्ता दिखा सके, कोई रौशनी दे सके । गम्पन्ति का मामला थोड़ा टेढ़ा हुम्रा करता है । अभी मैंने पूछा था **बिधि मंत्री जी से कि पहले मिताक्षराई** स्कृत था तिन्दू वां में, उसमें कोई ऐसा स्कूल था जिस स्कूल में जिस वर्ग में

हिन्दू लां के महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए जाते थे, तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी के जमाने में हिन्दू कोड बिल द्याया तब मे एक जैसः विल बन गया, कानुन बन गया। ग्रब वह दो तरह के स्कूल नहीं रह गए हैं। लेकिन यह जो हिन्दी वाला बैस्ट होता है, जय श्रीराम वाला बँल्ट जिसकी चर्चा में घभी कर रहा था, यह मत समझिए कि गैर ब**राब**री कायदे-कान्न से. संविधान से, जाबता फौजदारी की किनाब मे या ताजोराहे-हिन्द की किताबो से ही निकता करती है विधि-विधान से ही निकला करती हैं हमारी ग्रादतों से भी निकलती है। यह हमारा हिन्दी वाल। इलाका मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश का यह रोटी खाने वाला इलाका है । मर्द चौके में जा करके जब बैठता है रोटी खाने के लिए चाहे वह बाप हो, चाहे बेटा हो चाहे ब्रादमी मर्द हो, पति हो, चाहे भाई हो, तो श्रोरत से यही कहता है जराखर सेंकना ग्रौर यह पुरुष प्रधान समाज के दंभ का केन्द्र बिंदु है पांच रोटी मात रोटी एक बार बेलती है फिर उसको तवा पर रखती है फिर उसको मुखाती है श्रौर भ्रगरदस लोग खाने वाले हुए एक रोटी पर पांच मिनट गया तो 50 मिनट चले गए । सब्जी, चावल, दाल ग्रलग उसकी नहाने को नहीं मिलता, कपड़ा धोने को नहीं मिलता, बच्चों की सफाई का मौका नहीं मिलता । यह पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बैल्ट में जो हिन्दू धर्म कट्टरपंय का शिकार हुम्रा है उसका कारण यही है कि चौके में बैठकर मदे औरत पर हकूम बजाना है कि जरा खर मेंकना । जैसे ही वह पंजाब की तरफ जाती है गांव में एक तन्दूर पकता है अपना आटा लेकर जाती है और मेंक कर ला देती है। पजाब की भौरत अपने बच्चे का कपड़ा, भ्रयने पति का कपड़ा, अपन⊦ विस्तर ज्यादा साफ करती है वर्षन ज्याया चुमका कर रखती है। वही श्रौरत जब पश्चिम में यरोग में चुली जाती है तो वह डबल रोटी खाने लगती है भ्रौर फिर तवे की रोटी नहीं रहती। वह अपने मर्द के साथ जाकर बराबरी पर नाच करती है। तो हमारे खानगान हमारे रहन-महन रीति-रिवाज हमारी कला-संस्कृति,

धर्म-कर्म, हमारे गीतकार सबने भारतीय नारी को गुलाम बनाया है सबने, टोटल में जोड़ रहा हूं और इसलिए एक मामूगी से बिल से काम नहीं चलेगा केवल बराबरी का ग्रिश्रकार देकर नहीं चलेगा क्योंकि कई दोहे, चौपाइयां, किस्से ग्राज तक हमारी रमों में घुसे हुए हैं नसों में वह रहे हैं ज़िनके किस्सों के खन वह सब के सब हमको यह कुछ भी नहीं करने केंगे। एक मामूली से बिल के झटके से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। इस पर सोचना होगा।

महोदय, हमारे जैसा ग्रादमी जो दिलतों को ग्रारक्षण देने के पक्ष में, पिछड़ों को ग्रारक्षण देने के पक्ष में गरीब ग्रत्प-संख्यकों को ग्रारक्षण देने के पक्ष में, बोला करता है ग्राज कहेगा कि ग्राप लीजिए सरकारी नौकरियों में, दफ्तरों में, कल कारखानों में इनको कितना दे पाए हैं। मैं नहीं कहता कि इनको आप पलटन में भेज दीजिए । एक बार मैं हिम्मत नहीं कर पाएं। । इतना जरूर में कहना चाहता हं कि जो दलितों के लिए ग्रारक्षण हुग्रा करता है उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण रहना चाहिए <u>और भ्रमड़ी जाति के लिए जिस तरहसीटें</u> हुआ करती हैं उसी तरह में महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए सार्वजनिक जगत में ताकि राष्ट्र की मुख्य भागीदारी क्षारा में यह ब्रा सकें। ब्रभी तो इनके माने में झिझक हैं इनकी हिस्सत नहीं है श्रीर ग्रगर ग्राएंगी तो घर में बड़ा भाई डांट देगा, उनका आदमी डांट देगा, इनका क्काप डांट देगा । यह हिम्मन कर्के निकल गृहीं सकती ।

महोदय, इनको शक की तिगाह से देखा जाता है। एक ही गेट से पैदा हुआ लड़का और लड़की भाई यहन को अलग-अलग वृष्टि से देखा जाना है। भाई धावारागर्दी करके रात के। बज तक जाएगा तो बात नहीं विगड़ेगा, मगर बेटी सत के आठ बजे धाएगी तो घर में कोइड़ाभ सन जाएगा। इस तरह मनाज के

करने के, सोचने के, म्रांख दृष्टि के म्रलग भ्रलग पैमाने बने हुए हैं बेटे भ्रार बेटी के लिए । जब कभी भी हम लोग मंडल कमीशन की बात करते हैं या पिछड़ों के भ्रारक्षण की बात करते हैं तो उसमें लड़िकयों का नाम नहीं भ्राता, बेटा लोगों का नाम भ्राया करता है। इसलिए जानबूझ-कर में यह कह रहा है।

महोदय, मैं वीणा वर्मा जी के इस विधेयक का समर्थन करते हुए विधि मंत्री से निवेदन करुंगा कि इन सब के ग्रारक्षण के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए । जहां तक संपत्ति के अधिकार का है, इस पर मैं कहूंगा कि पति की संपत्ति में ही नहीं, बाप की संपत्ति में भी यधिकार हो। अगर बेटा लोग रहें तो जितना संपत्ति में हिस्ता बेटा लोगों को मिलता है उतना ही बेटियों को मिलना चाहिए । ग्रगर वह पति के घर में आ जाए तो भी वह संपत्ति उसके पास रहे ही ग्रौर पति की ग्राधी संपत्ति की मालकिन भी वह बने। बाप के घर की जो संपत्ति बेटी लेकर ग्रा जाती है, अगर उसकी बेटियां हैं तो केवल उनमें बांटा जाए, बेटियां न हों तो बेटों में बांट दिया जाए ग्रांर पति की संपत्ति बेटे ग्रौर बेटियों में बराबर-बराबर ब.टा जाए । तफसील से कोई एक कानुन बनाना पड़गा । एक मामूली झटके से या छोटा सा बिल लाकर के अगर हम हिन्दुस्तान की मांकी शक्ति को प्रबल या सबल बनाना चाहते हैं तो शायद हम उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए में निवेदन कहंगा विधि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं हम प्राइवेट बिल पर चुंकि सरकार का जवाब म्राता है उसी तरह सिर्फ इस पर जव।व देकर ग्राप टाहा न दें। बीणा जी ने यह बहुत ही गंभीर मामला छेडा है इस पर गंभी रता से विचार जरूरी है क्योंकि जिस देश की मां कमजोर होगी उस देश के बच्चे कभी मजबूत हो नहीं सकते और आज हिन्दुस्तान की मांको कमजोर बनाने के लिए सामाजिक तौर प्र, सांस्कृतिक तौर पर, कला के तौर पर, दौलत के तौर पर सब तरफ से साजिश की गई है।... श्रीर इसलिए हिंदुस्तान कमजोर बना । कमजोर इतना बना कि

मामूली सा हमलावर कभी स्राया होगा हिमालय के दरें से या झरब सागर से तो सदियों गुलाम बनाकर चला गया होगा।

उपसभाष्ट्रयक्ष जी, कभी-कभी भा०ज० पा० के मित्र राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं में उनसे भी कहूंगा कि मात्-शक्ति को ताकत देने के लिए प्रबल और सबल बनाने के लिए ग्रापको भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए।

श्री संघ त्रिय गौतम : मिश्र जी श्रापने बहुत ग्रच्छा भाषण दिया लिकन ग्राखिर भें गुड़-गोबर कर दिया ।

भी जनेश्वर मिः प्रापकी तरफ इशारा कर के न

श्री संघप्रिय गोतम : जी।

श्री अतेश्वर मिश्र: म नहीं जानता था कि श्राप लोग इतने बड़े गोवर हैं कि मैं इसारा करंगा तो गुड़-गोवर हो जाएगा।

DR. NAUNIHAL SINGH Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a very important and a rather evolutionary Bill in the light of the problems which are existing for women for a very long time in this country. I really appreciate and thank Smt. Veena Verma heartily for having presented such a Bill. She has, in fact set a ball in motion for establishing justifiable rights for married women. Sir, why does a woman have to wait for widowhood to enjoy her rights on matrimonial property? This is a very leading question and a searching question. Luckily, the Law Minister is also here

The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachouri) in the Chair]. Sir. this presented by Smt. Vecna Verma raises very important queshighlighting the plight of women who, under the present provisions, are bestowed with property rights only after the death of their

husbands or in case of divorce. It is shocking to find that despite nearly half a century after independence. nothing has happened to really elevate the position of women in the society. Their identity has not been well-established. According to a recent survey, it appears that four women commit suicide every day. some 24 women are kidnapped every day and 20 women are raped every day. Such is their state of affairs. Sir. if you look at the police records of 1986, they reveal that no less than 1,200 women were burnt for dowry. 1,535 women were abducted and 1,463 women were raped in three States in particular, namely, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and West Bengal. All these are testimonies to the fact that women have no social and economic status in the eyes of the law. So, now it is for the law-makers and for this august House to consider these horrible facts. Not only that, under the present law of maintenance,-in particular I wish to draw attention to section 125 of the CRPC -there is no provision for the grant of interim maintenance or ex-parte maintenance, as a result of women who are separated live often without any means of subsistence for a period of one to three years till their cases are decided by the counts. Sir, the Hindu Marriage Act does not provide any similar grant of ex-parte maintenance. Smt. Veena Verma's Bill calls for correction of this anomaly by emphasising the need for an amendment in the Constitution seeking equal rights for a married woman on the movable and immovable properties of her husband even while he is alive. The Bill demands that a woman should have a right on matrimonial property with powers to will, to divide and to donate her share, if necessary, to anyone according to her wishes. I am quite sure that the women in India will stand to gain in a biz way if the Married Women (Prorection of Rights) Bill, 1994 presented to this House by Shrimati Verma is adopted by this august

House. The Bill will virtually bring about a very much needed economic emancipation of women in this country. The significance of the Bill is apparent from its very objectives. If a woman's right in the property of her husband is recognised, the moment she marries she will start feeling secure and will overcome her sense of helplessness and economic insecurity. This will minimise, if not really be able to eliminate, the causes of separation and divorce. I am sure that this Bill will ameliorate their conditions. What will she get in divorce? The society should consider very seriously and mis Legislature should also consider very seriously that there should be a grant during the time of separation for proper subsistence. Another important pect of the Bill relates to the rights provided for the married women under section 3 of the Bill which is also very important. A women will have the right to live in the House of her husband, whether owned by him or by his joint family, without seeking judicial separation or divorce. This is very, very important. without seeking judicial separation from her husband, she will be entitled to food, clothing, protection not only for herself but also for her children. This is also very important. Otherwise, she is very much neglected. I, therefore support the grant of some of the basic demands on behalf of the women of India, Firstly, woman should be given equal rights in the property of her husband, both movable and immovable property. the date of her marriage. Secondly, the women should also be granted equal rights in the property of their parents. This is another very important aspect. Thirdly, the Government should direct the National mission for Women to evolve a very suitable package for the amelioration of the conditions of the women in this country. This is very important, Lastly, the Government should constitute a Commission under the Ministry of Law to go into the property

rights of women. Therefore, stricter laws are needed to be enacted by the House on women's rights. That is my urge. I, therefore, support the wholeheartedly which is duced by Shrimati Veena Verma and request the Government to give due consideration to the Bill. But as I have known from the history of the Private Members' Bills, I understand that only seven Bills have so far been accepted by the Government since the Rajya Sabha came into existence. But I appeal to the conscience of this House and the Law Minister that the Private Members' Bills should be respected, considered very seriously as is done in other countries and other democracies of the world.

Thank you. Mr. Vice-Chairman,

भी गोविन्द राम गिरी: (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननी या सदस्या श्रीमती बीणा वर्मा द्वारा लाए गे विवाहित महिलाओं के सम्पत्ति पर श्रीधकार संबंधी विद्येयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुग्रा हूं।

श्राज विवाहित महिलाश्रों के सम्पत्ति के ग्रधिकारों पर चर्चा हो रही है । किन्तु खेद का विषय है कि हमारी जा महिला सदस्या हैं, उनकी संख्या स्राजयहां पर नगण्य हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को प्रारम्भ से ही एक उपभोग की वस्तु समझा गया है। महाभारत काल मैं जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि कौरवों ग्रौर पांडवों के वीच जब जुग्रा हुग्रा था ग्रीर जब जुए में पांडवों की मारी सम्पत्ति समाप्त हों जाने पर उन्होंने श्रपनी पत्नी द्रोपदी को ही जए के दाव ।र लगा दिया था । इसको हम नहीं भूल पाते हैं। ग्राज ग्रगर हम यह सोचें तो ग्राश्चर्य होता है कि कैमे उस ममय में यह सब बातें चलती रही । मझे इम संदर्भ में मुशी प्रेमचंद की लिखित कहानी-कफन की याद आती है। इसमें एक स्त्री प्रसव पीड़ा में कमरे के भंदर कराह रही होती है और घीसू और माधव जो बाहर रहते हैं और आल भनते रहते हैं। बाप प्रपने पुत्र से कहता है कि—
ग्रंदर जा, तेरी पत्नी कराह रही है।
लेकिन वह कहता है कि—नहीं, तेरी बहु है.
तो तूं जा। तो इसमें इस तरह में चित्रण
किया गया है कि अगर कोई एक ग्रंदर
चला जाएगा नो दूसरा सभी ग्राल् खा
जाएगा। इन प्रकार कोई ग्रंदर नहीं जाता
है। तो यह कहानी स्त्रियों की स्थिति को
प्रगट करता है कि महिलाओं की स्थिति
क्या है। ग्रंत में वह महिला मर जाती है।
कफन के लिए उनके पास पैस नहीं होते हैं
और जब कफन को पैसे मिलने हैं तो
उससे बह बरनव ग्रादि पी जात हैं। तो
महिलाओं की यह स्थिति हमारे समाज
में रही है

कहा जाता है कि सारे झगड़ों की जड़ में—जर, जोरू ग्रीर जमीन है। पैसा, इज्जत महिला और जमीन। ऐसी स्थिति में यह विधे क बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाग्रों को प्रधिकार दिलाने के लिए ग्रनेक कानून बने हैं। लेकिन महिलाग्रों को ग्रधिकार बब मिलेगा नजब वह विधवा हो जाएगी, पति की मृत्यु हो जाएगी। ग्रगर कोई महिला ग्रपनी समुराल में इस बात की ग्रपेक्षा करती बैठी रहे कि मेरे पित की मृत्यु हो गई. मेरे बच्चे हैं, मेरी देखभाल होगी। परन्तु वहां भी उसे सम्पत्ति नहीं मिलती और ग्रधिकार नहीं मिलता।

. भारतीय संविधान के ब्राटिकल-14 में कहा गया है कि कानन में सब समान हैं। इपिविजिटी विफोर ला । लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि महिलाओं को वह दर्जा प्राप्त नहीं है, यद्यपि उनकी जनसंख्या त्राधी जनसंख्या है। वह **त्राधी दुनियां** की मालिक है । इस पुरुष प्रधान समाज में हम देखते है कि जब भी कोई वात आर्ता है, महिला प्रें को ग्रागे कर दिया जाता **ग्रपनी** रक्षा के लिए । परिवार नियोजन की बात पाती है तो पुरुष कहता है कि महिला है। तसबन्दी कराए और स्वयं तैयार नहीं होता । जबकि पुरुष की नसपन्दी तत्काच है। भरन्तु महिलाओं जो अनेक कप्ट भागने पड़ते हैं। जब वह सस्राल में पूत्र को जन्म नहीं दे पाती है तो उसको ही दोषी माना जाता है: इसमें पुरुष का दोष नहीं देखा जाता। तो आज यह स्थिति है। जब विवाह होकर लड़की ससुराल जाती है और वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे ही कारण मानकर उसको ही प्रताहित किया जाता है। तो महिलाओं की आज ऐसी स्थिति है। अभी जो उत्तराधिकार अधिनियम है, उसमें पित की मत्यु के बाद सन्तान को जो सम्पत्ति मिलती है उतना ही यरावर का हिस्सा पत्नी को मिलता है। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

4.00 P.M.

भरग-पोषण के लिए दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 में जो उपटंड किए गए हैं, उसकी भी अधिकतम सीमा पांच सी रुपए प्रति माह है जो कि अपर्याप्त है : ग्रौर उससे वचने के लिए लोग कहते है कि साहब, मे तो भीख मांग रहा हूं, मै तो बेरोजगार हं, मैं तो लाचार हूं कुछ नहीं कमारहा हं, कुछ नहीं कर रहा हं। इस तरह से कानून से बचने के लिए अनेक उपाय करते हैं भ्रौर यदि अधीनस्थ न्याया-लय कोई डिकी देभी देता है महिला के पक्ष में तो पृष्ठप उसका रिवीजन करता है, श्रपील करता है ग्रौर ऊंची से ऊंची अदालत में जाता है। पत्नी कहां तक जा पाएगी ? ग्रौर इस तरह से उसे या तो अपने मायके पर अाधित रहना पड़ता है या उसे मजबूर होकर कोई गलत रास्ता चुनना पड़ता है। शादी हो जाने के बाद परुष समाज उसका भरपूर शोषण करता है और शोषण करने के वाद वह दूसरी णादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, चौथी शादी भी करलेता है स्रोर अगर महिला थोड़ा सा प्रयास करे तो उसे व्यभिचारिणी, कुलटा ग्राहि तरह-तरह **त्रपमानजनक शब्दों से प्**कारा जाता है। मझे एक घटना याद आती है जब म मध्य प्रदेश के नानवाग्रधिकार आयोग का सटस्य था तो एक पीड़ित महिला मेरेपास याई थी, मुसलिम समाज की थी कि साहब मेर पति ने मझ छोड़ दिश है. मैं मयके में हू, मेरा बच्चा है, वह दूसरी शादी करने जा रहा है. उसे ग्राप रोकिए। मैंने कहा कि बहनजी मैं मजबूर हूं क्योंकि आपके यहा चार विवाह का प्रावधान है, यह दूसरा विवाह कर सकता है, कानून उसका रोक नहीं सकता हम उसमे निवेदन कर सकते हैं. कुछ कह सकते हैं तो उन्होंने कहा कि निवेदन से मानने वाल नहीं हैं। तो कानून इतना लिलाचार है, स्थिति अच्छी नहीं है। राजनीति में काम करने के नाते, वकालत का पेशा होने के नाते में महिलाओं की समस्याओं से नजदीक से वाकिफ हं और इसलिए मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि व सच में महिलाओं का कल्याण करना चाहते हैं तो आज आवश्यकता है कान्त में संगोबन करने की और जिन बातों की और वीणा वर्मा जी ने ध्यान दिलाया है, उन वातों का उनमें समावश हो।

याज पति नौकरी करना है, पति की
मृत्यु हो जाती है लेकिन अनुकम्या के आधार
पर नियुक्ति के लिए, कम्बेशनेट इम्प्लायमेंट
के लिए उसे दर-दर भटकना पड़ता है। क्यों
न उसकी अनिवार्य कर दिया जाए कि पति
के मरने के बाद पत्नी की उसकी योग्यता के
मुताबिक स्थान दिया जाएगा।

लेकिन उनका रिमोट कंड्रोल तो पुरुष के हाथ में रहता है भले ही सम्पत्ति पत्नी के नाम पर रहती हो उसकी बिकी करने का, उसको दान करने का अधिकार , उसको देना, यह सब पुरुष के हाथ में रहता है। इसलिए यह अनिवार्य किया जाए कि जब किसी की बिकी हो तो उसमें पत्नी के भी हस्ताक्षर हों, उसकी सहमति ली जाए । इसं तरह से पति के मरने के बाद पत्नी पेंशन के लिए दर-दर भटकती हैं। उसको बताया जाता है तो पंशन के जब कागजात बनने हो तो उसमें भी एक महिला दो महिलाओं यातीन महि-लाओं का झगड़ा रहता है कि कौन असली है ? कौन नकली हैं ? तो जो विवाहित महिला है, उसी को दिया जाए। यह उसमें अनिवार्य किया जाए भ्रीर जो भी बैंक बेलैंस हो. उसमें दोनों का नाम हो ईदर और सर्वाइवलर, पति काभी हो और पत्नी का भी हो और जमीन के जो खाते-पींचयां वनती हैं, पटवारी पास जो रिकार्ड रहता है, उसमें अकेले पित का नाम उसमें हो, उसमें भी पत्नी का नाम हो साथ-साथ उस खाते में, उसकी पर्ची की काँपी उसको मिलनी चाहिए, उसके ह≀थ में भी सम्पत्ति के कागजात रहें।

ग्राज दहेज प्रथा के नाम पर महिलाओं की ग्राए दिन हत्याएं की जाती हैं। महिलाग्रों का जीवन बहुत ही नारकीय हो गया हैं किसी को व्यापार करना है तो पत्नी को ढाल बनाते हैं कि जाग्रो ग्रपने मयके से पैसा लेकर श्राश्रो तब व्यापार करेंगे। अरे. ग्राप पुरुष हो महिला तो आपका घर चलाने के लिए श्रायी है, पूरा जीवन श्रापको देना चाहती है। लेकिन नहीं, दहेज के नाम पर उसको प्रताहित किया जाता है जलाया जाता है, मारा जाता है । हर रोज उसके लिए नया दिन होता है क्योंकि दिन बड़ा ग्रन्छ। जीत गया तो ठीक है पर अगरे दिन पता नहीं क्या हो ? पति शराबी निकलता है वह पत्नी को मारता है. पीटता है। बच्चों की पढ़ाई निखाई नहीं हो पाती और मां खुन का घंट पीकर रह जाती है, चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास हार्शिक ग्राधार नहीं है। हम ग्रार्थिक युग में जी रहे हैं। दहेज के मामले में जहाँ तक मेरा श्रनुमान है, दहेज में महिला ही महिला की शव हो जाती है। महिला इस वान को देखती है कि जब मैं बहु बनकर ग्रायी थी तब इसने जेवर पहने थी, इतना दहेज लेकर आधी थी. यह आयी है तो क्या लायी है, कितना लायी है ? इसी स्टेटस को देखती है । जाती है कि वह भी कभी बह थी, उसकी लहकी भी किसी की बहू है। तो इस तरह की जो वातें हैं. इनको हमें दूर करना होया ताकि समाज में संतुलन बना रहे। यनि के मरने के बाद पत्नी से कहा जाता है कि तुम सादा जीवन जियो, सादे कपड़ पहनो । इसी तरह की ग्रौर कई वर्जनाएं उसके सामने आ जाती हैं जब कि पुरुष के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हमारे यहां विवाहित पुत्री को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। हम राशन कार्ड बनवाते हैं तो उसमें भी विवाहित पुत्नी का नाम नहीं डाल सकते । यहां तक कि सी.जी. एच. एस. डिस्पेंसरी के कार्ड पर विवाहित पुत्री का नाम नहीं होता है और यदि उसके ससुराल वाले उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो उसके इलाज का बोझ लड़की वालो को ही वहन करना पड़ता है। एक श्रीर चीज भ्राजकल भ्रुण परीक्षण चल रहा है। मशीन से यह देखते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की है कि लड़का और जहां लड़की होने का लक्षण देखते हैं, वहां मां के न चाहने के उसको गर्भपात कराने के लिए विवर्ग किया

जाता हैं। श्रीर तो श्रीर, यहां पर महिलाश्रों को अपने पति तक कानाम लेने का अधिकार नहीं हैं। तो इन तमाम विसंगतियों को देखते हुए स्राजयह स्रावश्यक हो गया है कि विवाहित स्त्री को उसके पति के जीते जी उसकी सम्पत्ति पर--चाहे वह चल हो या अचल, जो भी हो बराबरी का अधिक। र मिलना चाहिए। पत्नी अर्घागिनी कहलाती हैं। जब आप उसे अर्थोगिनीकहते हैतोसम्पत्ति परभी उसका िहिस्सा होना चाहिए। उपसमाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं स्नापका अभारी है । कन से शक्ति की पूजा, नवरात्रे प्रारम्भ हो रहे हैं। यह उपयुक्त अवसर हैं कि जब हन नारी को देवी मानते हैं, शक्ति मानते हैं नो इस अवसर पर हमारे विधि न्याय मंत्री जी बैठे हैं । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को यह स्वीकार करें या जो प्रस्तुतकर्ता हैं, उनके वापिस लैने पर, इनमं जो बातें लिखीं गयी हैं, उनको उपयुक्त विधेयक लाकर समाविष्ट किया जाए । इन्ही शब्दों के साथ मैं इस विवेधक का समर्थन करता है। धन्यवाद।

श्रो रामेश्वर ठाकुरः (बिहार): माननीय उपसभाध्यत महोदय, माननीय वीणा वर्मा जीने जो प्रस्ताव सदन के सामने श्रीजस्वी भाषण के द्वारा किया हैं, वह वहुत ही सराहनीय हैं। महिलाग्रों के जीवन के जो दर्शन हैं, उनकी जो समस्याएं हैं और उनके साथ आज श्रपने देश *के विभिन्न* समाज मे, भागों में जो भी ब्यवहार हो रहा है, इस पर उन्होंने शोक प्रकट किया हैं भ्रौर ग्रपने विधेयक में सुझाव दिये हैं। हमारे सदन के माननीय पूर्व वक्तात्र्यों ने महिलाग्रों की समस्याओं पर, जो भी उनकी व्याप्त कुरीतियां हैं दहेज आदि की, उनका उल्लेख किया है। साथ ही साथ उनके माथ जो **ब्रत्याचार भ्रौर दूसरी समस्याएं हैं उन** - प्रकाश डाला है । **उनको** समानता का ग्रधिकार है। इस पर भी लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं। कुछ पौराणिक कथाय्रों के विषय में भी सदन में उल्लेख किया गया। इस तरह की जो समस्यायें हैं और जिनके समाधान

हमारी महानुभात है लेकिन उन वाता को दोहराना नहीं चाहता मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का एक दूसरा स्वरूप भी है जिसे हम भूलना नहीं चाहिए। वेद के समय से महिलाओं की जो महिमा है, जो गरिमा है, महिलाओं का मातृ शक्ति के रूप में हमारे लोगों ने हजारों वर्षों से कबूल किया है उसकी एक मर्यादा है जिसे लोगों ने स्वीकार किया है । मैं यह मानता हूं कि म्राज बुराइयां व्याप्त हैं श्रीर उसके समाधान में जो बातें दही गई हैं उनका समर्थन करने हुए में ग्रापका ध्यान इस तरफ आक्षित कर रहा हुं कि लाखों, करोड़ों की संख्या में **मा**तृ शक्ति जिमे विनोधः जी ने ग्रपनी पुस्तक में लिखा, महात्मा गांधी जी ने ग्राजादी की लड़ाई में महिलाओं को सहभागिनी बनाया था और वड़ी संख्या में नारे देश में सभी धर्म श्रीर जातियों की महिलाएं आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ आगे श्राई। यह समर्या तीन पक्षों में दखी जानी चाहिए। ये तीन पक्ष हैं-सांस्कृतिक पक्ष, सामा-जिक पक्ष और अधिक पक्ष । जो राजनीतिक पक्ष है उसके बाद संवैद्यानिक पक्ष भी ग्राता है। सांस्कृतिक पधा का मैंने जैसा वताया हमारे देश में बहुत सी नारियां विदुषी हुई हैं, वेद शौर दूसरे शास्त्रों को जानने बाली हुई हैं। यह में भाग लेती श्रीं । ग्रभी यह कहा गया ग्र**ैर किसी** शंकराचार्य जी का कहना है कि नारियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं। वेकिन सैकड़ों उदाहरण हैं जहां भारत की वि**दुर्गा** महिलाम्रों ने नेद का केवल मध्ययन एवं **ऋध्यापन नहीं किया बल्कि उ**नके प्रचार प्रसार में भी योगदान किया। उन जमाने में और ग्राज भी इसकी मान्यता है कि बिना नारी के पुरुष अकेला यज्ञ नहीं कर सकता। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए वेद या दूसरे शास्त्रों को माना जाता है। इसलिए यह कहना कि महिला**एं** यह ठीक नहीं बिल्कुल वंचित हैं यदि सही माने में देखा जाए तो बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्ति ग्राज भी अपने अ**धिकार** को **अपनी** मुताबिक सुरक्षित रखती है।

# [श्री रामेश्वर ठाकुर]

उसमें से दूसरा पक्ष देखने का यह है कि वास्तव में नारी खावलंबन की दिशा में. जैसा मैंने कहा कि सांस्कृतिक धरातल के श्रतिरिक्त सामाजिक, श्राधिक ग्रौर राजनैतिक **क्षे**त्र में कैसे हम उनको भागीदारी दे सकते हैं, इस पर भी काफी विचार हुआ है। संविधान में उन्हें ग्रक्षिकार मिला लेकिन तीन वर्ष पूर्व संसद ने जो अधिकार महिलाओं को दिए, वह बहुत ही महत्व-पूर्ण हैं। राजनैतिक और ब्राधिक विकेन्द्री करण के लिए संविधान में संशोधन किया गया, उसके मुताबिक राजनैतिक और सामाजिक जीवन महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम यसेम्बलियों ग्रीर पालियामेंट के लिए नहीं किया गया है।

श्री रामेश्वर ठाकुर: ग्राप जरा पूरी बात सून लीजिए। मैं 73वें सविधान **सं**शोधन की बात कर रहा हं जिसको लोकसभा और राज्य सभा ने में पारित किया ग्रौर सभी राज्यों ने इसकी पृष्टि 6 महीने के ग्रंदर की, विधान सभाघों ने भी इसको पारित किया श्रीर **इस पर महाम**हिस राष्ट्रपति के **ह**स्ताक्षर 24 अप्रैल; 1993 को हुए और यह संविधान का श्रंग बना। इसके बाद एक साल के ग्रंदर सभी राज्यों ने 23 अप्रैल, 1994 तकं, सभी राज्यों की सभाग्रों ने इस कानून को पारित पंचायत राज कानून पारित कर महिलाग्री के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसको सभी राज्यों ने किया है । नयोंकि ये प्रावधान ग्रनिवार्थ थे, मैन्डेटरी धे, इस लिए इसको सभी राज्यों ने पारित किया। इस बारे में किसी को द्विविधा नहीं होनी 'चाहिए। सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जिन राज्यों में चनात हो चुके **हैं** वहां पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित किए गए है। एक तिहाई स्थानों में महिलायें चुनी गयी हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावों के बाद जिला ग्रध्यक्ष यहां ग्राए थे, वे महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले. माननीय मंत्री जी से मिले ग्रीर लोगो से मिले। उसमें महिलायें एक तिहाई जिला अध्यक्षों के रूप में ग्राई थीं। इनमें कई महिलायें है। वे कालेज में पढ़ाती हैं, वकालत करती हैं। वे यह काम छोडकर इस काम में लग गयों हे, ऐसा उन्होंने बताया । हमारे सचिव महोदय को यह चिन्ता हुई कि ये पढ़ी-लिखी भी हैं या नहों। लेकिन पाया गया कि उनमें ग्रधि-कांश ग्रच्छी पढ़ी-लिखी महिलाये थीं ग्रौर श्रपने नये दाधित्त्र का ख्याल है । उनको जिला स्तर पर जो दायित्व दिया गया है, उसमें उस पूरे क्षेत्र के 29 कामों के पूर्ण संचालन का काम उनको दिया गया है, । कुषि, लघु सिचाई, छोटे उद्योग, खादी श्रौर ग्रामोद्योग, शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा, गांव ग्रौर पंचायत के स्तर पर, मीडियम दर्जे की शिक्षा प्रखंड स्तर पर, ग्रौर हाई स्कूल की शिक्षा, ये ग्रधिकार उनको दिये गये हैं ग्रौर जिला स्तर पर संचालित स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण इस तरह के 29 विषय, जो राज्य सरकारें चलाती थी, वह जिला परिषद अधिकार में दे दिये गये हैं। हमारी जो महिलायें अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का अधिकार क्योंकि सदस्य वनने के लिये एक तिहाई का प्रावधान नहीं है, एक तिहाई उनमें से ग्रध्यक्ष बनेंगी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ग्रौर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रौर जहां-जहां यह काम हो रहा है, ग्राप देखेंगे कि उन राज्यों में महिलायें ग्रच्छा काम कर रही हैं। ग्रब समय ग्रागया हैं इसी तरह से महिलाये हमारी विधान सभाग्रों में, यहां पर वड़ी संख्या में ग्रभी भी हैं. ग्रौर जितनी श्रायों हैं उन्होंने श्रच्छा काम किया है, तेकिन इससे ग्रधिक संख्या विधान सभाश्रों, राज्य सभा श्रीर लोक समा में भी महिलायें ग्रयना उत्तरद: यित्व राजनी िक निभावेंगी, सामजिक क्षेत्र के क्षेत्र में विकास में योगदान देंगी ग्रौर साथ-साथ जो म्राधिक विषय हैं, म्राधिक विषयों में भी उनका योगदान होगा । मैं समझता समय शायद कम है, घटी दज चुकी है, इस मेरा यह है कि तीन निवेदन लिये प्रकार के कार्यक्रम इसके लिये जरूरी है।

काननी दष्टि से, संवैधानिक या कान्नी जो प्रस्ताव जरूरी है इस दिशा में, वह पारित किये जायें । दूसरी बात म्रायिक दिशा में उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिये। तीसरी बात यह है, पंचायत की वान मैंने कही है। इसका हमें कट अनुभव भी है। स्रभी हमारे माननीय मिश्रा जी भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के वोल रहे थे। गया था मेरठ में एक नेरठ हजार से ऋधिक ग्राम प्रधान सभा में मौजुद थे । मैंने एक महिला को मंच से नीचे सभा में देख। । मैंने पुछा कि कौन है तो बोले कि वह महिला ग्राम प्रधान है। हमने कहा कि निवेदन करिये कि वह मंच पर या जायें । वताया गया कि मंच पर वह नहीं भ्रायेंगी । तेकिन उनको बुलाया गया। हमने कहा कि निवेद द करिये कि वह कुछ बोलें। बताया गया कि वह कुछ नहीं बोलेंगी । उन्होंने कान में कुछ कहा, हमें यह बताया गया कि वह बोलना नहीं चाहती हैं। मैंने कहा कि वह बोलेंगी, तब मैं बोल्गा। लाचार होकर के उनको लाया गया मंच पर । एक मिनट तो कुछ ग्रौप-चारिकतायें होती रहीं उसके बाद प्रचाण्ड काली का रूप उन्होंने धारण किया और कहा कि यह जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं, यह सब लोग हमें वहां बोलने नहीं देते हैं, गलत काम करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। जब तक हमारी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक यह सधार नहीं होगा, इस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। वह बोलती गई, बोलती गई, वहुत से लोग खड़े हो गये, श्रांखे दिखाने लगे लेकिन वह खूब बोली। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है। कितना समय, है, मुझे मालूम नहीं, उपसभाध्यक्ष महोदय जितना समय देंगे, मैं उतना बोलगा । दूसरा उदाहरण हैं मथुरा का। लगभग 700-800 ग्राम प्रधान ग्राये हुये थे। उस समय कानून नया बना था। सात म्राठ ग्राम प्रधान खडे हो गये श्रीर बोले कि मंत्री जी ग्राप जहां भी जाते हैं केवल महिलाग्रों की बात करते हैं, एक तिहाई की बात करते हैं तो हमारे घर का काम कैंमे चलेगा ? ग्रगर यह सब महिलायें चलायेंगी तो ठीक है दिल्ली से महिलाओं को ले ब्राइये ब्रौर उन्हीं को पंचायतों में बैठा दीजिये। हमारे घर का काम कैसे होगा ? हम लोग क्या करेंगे । इस तरह ग्राठ-दस लोग खड़े होकर विरोध प्रकट करने लगे। हमने कहा उनको बोलने दीजिये। हमारे वहां के जो जिला अध्यक्ष ये वह संकोच महसूस कर रहे थे। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, श्री महावीर प्रशाद शर्मा जी उस ममय उत्तर प्रदेश ग्राम संगठन के ग्रध्यक्ष थे। हमने शर्माजी से कहा कि उनको वोलने दीजिये। बोलने के बाद हमने उन मदस्यों से कहा कि आप यह वताइये कि ग्रापके घर का काम कौन करता है । महिलायें करती हैं । हमने कहा कि खाने-पीने, रसोई का काम, वच्चों की देखभाल, पढ़ाई-लिबाई की देखभाल कौन करता है नो उत्तर मिला कि महिलायें करती हैं । हमने पूछा कि विवाह शादी संस्कार जब घर में होते हैं उनकी देख-भाल कौन करता है। बताया गया कि महिलायें करती हैं। खेत में खाना कौन भेजता हैं। यह भी वही करती हैं। हमने कहा कि यदि वह सारे घर की चला सकती. हैं तो पूरे गांव को भी चला सकती है । उनमें वह गिवत हैं। ग्राप कहते हैं. जिस घर में महिला नहीं हो वह घर सूना हो गया, घर का काम नहीं चलता हैं। तो जो महिलायें सदगुण है, ग्रभी सब काम देखती हैं, सहानूभूतिपूर्वक मेहनत करके सारे घर के श्रौर खेत के काम करती हैं, गांव के काम भी करती हैं वे ग्राम पंचायत के काम भी ग्रच्छी तरह से संचालित करेंगी। फिर यदि ग्राम पंचायत का कर सकती हैं तो प्रखंड का भी करेंगी, जिले का भी करेंगी । मैंने उदाहरण दिया कि हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी श्रीर दूसरे ग्रन्य विशिष्ट महिलायें हैं जिन्होंने सारे देश को चलाया, विश्व में इतना नाम-धाम किया । तो महिलायें यह कर सकती हैं। उनको मौका चाहिये **और यह मौका, यह ऋधिकार** स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रस्ताव के द्वारा संविधान में दिया गया, श्रीर एक तिहाई उनको प्रधिकार है कि वे चुनी । जहां गहां नहीं चुनी गयीं हैं जायें जैसे उत्तर प्रदेश में ग्रब चुनाव होने है श्रौर श्रन्य राज्यों में जहां चुनाव हुग्रा है, ग्रासाम में, पूर्वाचल में, पिश्चमी बंगाल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तथा ग्रन्थ जगह में वहां पर महिलाग्रों की भागीदारी बहुत जोरों से बढ़ रही हैं। बे ग्रपने ग्रिधकारी को ग्रच्छी तरह से संचालित कर रहीं हैं।

म्राप देखेंगी कि चुनाय का कम कुछ महीनों में समाप्त हो जायेगा। साढ़े 22 लाख पंचायतों में लोग चुने जायेंगे, साढ़े 7 लाख नगरपालिकाम्रों में चुने जायेंगे, इन 30 लाख में से मुझै लगता हैं कि 10 लाख महिलायें होंगी सारे देश में। ये 5 हजार नही हैं। हम लोग सारी विधान सभाम्रों एवं विधान परिषदों में, राज्य सभा ग्रौर लोक सभा में मिलाकर 5 हजार से कम हैं।

हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जो बराबर कहा करते थे कि सत्ता का ध्रुबी-करण थोड़े लोगों के हाथों में हो गया है । विकेंद्रीकरण होना चाहिये। इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में ग्रुपने देश में 30 लाख चुने हुये प्रतिनिधि होंगे जिनके हाथ में राजनैतिक, सामाजिक ग्रीर ग्राधिक विकास का काम होगा— गांवों से लेकर जिले तक। यह काम तो होगा ही ग्रीर इनमें 10 लाख महिलायें होंगी।

लगभग सवा तीन लाख महिलायें इनमें ऐसी होंगी, जो चेयर परसन या अध्यक्षा होंगी। उनके हाथ में संचालन होगा। जिला मजिस्ट्रेट या जा हमारे विशेष पदाधिकारी, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिससं हैं, वे उनके सचिव होंगे। इनमें आदिवासी महिलाएं भी चुनकर आधेंगी। मध्य प्रदेश में वीणा जी आप जानती हैं कि वे आई हैं, वे अध्यक्षा हैं। आज हमारे वड़े अच्छे जिला स्तर के जो आई०ए० एस० आफिसर हैं, वे उनके मचिव वनकर उनके मातहत काम बरते हैं।

इसके ब्रलावा जो दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये त्व सिकार काम करेगे। समूचे विकास का काम होगा—जितना हमने बताया, यह सब जिले के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, गांव के स्तर पर होगा। इन सब कामों में उनकी भागी-दारी होगी। हमारा कर्तव्य ग्रौर दायित्व यह है—मैं अपील करना चाहता है कि हम इस प्रक्रिया को सफल होने दें। जो इतनी बड़ी संख्या में महिलायें चुनकर ग्राई हैं या ग्रा रही हैं, उनको हम सक्रिया योगदान दें।

हम सदस्यगण जब क्षेत्र में जाते हैं, तब उनसे बात करें। उनकी समस्याग्रों का समाधान करने की कोशिश करें। यह जो जनतांत्रिक व्यवस्था हुई है और जो ग्रभी पहली बार संविधान के ग्रन्त गत राजनीतिक, ग्रार्थिक और सामाजिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 10 लाख के लगभग माहेलायें भाग ले रही है या लेंगी, उनके हाथों का मजबूत करना, सही मायनों में उनको सफल करना हमारा कर्तव्य और दायित्व है तभी वैसी जो भावना इनके प्रस्ताव में हैं, उसकी पूर्ति में हम संक्रिय भूमिका ग्रदा कर सहोंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः वीणा जी को धन्यवाद देता हूं कि वे इत प्रस्ताय को लाई और उपसभाध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और हमारे जो बड़े सिक्य संसदीय राज्य मंत्री जी हैं, उनको, कि उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि मैं कुछ दो शब्द कहं।

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, we are discussing today a Private Member's Bill in regard to protection of the rights of married women in our country.

Mr. Vice-Chairman, in this House, we have several times discussed about the weaker sections of the society, about the oppressed classes, about the Scheduled Castes, about the Scheduled Tribes and about the minorities. I think on all these issues, the House has been unanimous when it came to passing any legislation, taking

any action, making any amendments, even if they were Constitutional amendments. This House has been unanimous and we have always risen as one to take measures to always help these oppressed sections of society.

Sir, I would like to mention that in our country, not now but since centuries, women have been the most oppressed section of our society. This aspect has also cut across all party and religious lines and angles, cut across all regional barriers and through the centuries, women as a class, irrespective of whether belonged to forward classes, backward classes. Scheduled Castes or Scheduled Tribes, have not only played a very subservient role but have always been subjected to a great amount of oppression and have had to bear great pain and insult in this great country of ours.

Though our Constitution provided for the reservation of certain classes of people, I don't know how women actually slipped from the mind of the founding fathers of our Constitution, Whether it was because of the religious codes which governed society since centuries or whether it was because of the laws that evolved through the centuries and decades, women have always been at the receiving end.

Mr. Vice-Chairman, our country has been. I would say, not notorious as far as women are concerned. have heard of dowry deaths. passed the Anti-Dowry Act. So many legislative measures and actions have been taken. But I think we should go to the root-cause to see as to why these problems have been continuing and why women still have to face this kind of a horrendous situation in a country like ours. Is this just because women are the weaker sex or is there any other reason? Is it because of our religious mores or is it because of our social conditions? What is

actually the root-cause which has subjected them to this kind of a problem? Sir, I dare say that the main cause of this revolves around their elependence.

Women have been, for ages, dependent on the menfolk, whichever class, whichever region. whichever caste they belonged to and, I think, this has placed them in a position where they had to take in a lot of insult and subject themselves to all kinds of atrocities which they have been forced to face. There has been no way out.

Mr. Vice-Chairman, in the recent laws that have been made. have been given rights to property from their parents sidefather's property. They are coparceners to it when it comes to rights to parents' property. But marriage is an institution which has developed in various countries and in our country through the ages. Once a woman gets married, she becomes a part of her husband's family. Now. fortunately, the Law Minister is also sitting here, and I would like Government and hon. Members of this House to consider the option of giving coparcenary rights to a married lady in her husband's family. all, she is part of the family once she is married and she goes over there.

Even in the rights that have been given for the parents' property, there are several lacunae. For instance, take your land ceiling laws or urban land ceiling laws which have come into existence in the last two or three decades. In the father's or mother's property, under most of the land ceiling laws which are being followed in most of the States, including the Central land ceiling Act, women have a right to the property, when it comes to agricultural land holdings, in some States it is cole a mann married and reparated son

[Shri V. Kishore Chandra S. Deo]

who is entitled to an agricultural holding. But a major daughter, though she may have a right to property, is not entitled to an agricultural land holding. So, what does she do with the land? She surrenders it, and the compensation that she gets, you know, is nothing compared to the market rate. Even she gets a better rate, why should you deprive a girl just because she is a girl, of a separate holding in same way her brothers are entitled The same thing applies in the case of urban land ceiling laws also. Unless you admit these laws also which have come, you are only partially giving them the benefit of what you have been doing. That is why most of the down deaths are caused. Generally, when a woman gets into a family, the family pesters her for dowry, send her home and ill-treat her. That leads to very shameful consequences leading even to death. Now, if you give her right in the property of her husband's family. then, they will not harass her for getting dowry because, once they do that, she can always go to her parent's place and claim her share in the property of her husband's family. Once she becomes a part of that family, why should she not be entitled half of the husband's property? In case of divorce. I think, today, something called 'maintenance" is given? Why maintenance? Why not half the salary, unless she gets married again? Why should she not get half the other proof the house and perty that belong to her husband? If we really want to control dowry deaths and if we really want to stop these social evils which have actually besmirched the image of our society. then, we have to think of these radical measures and be hold enough to take these steps which will protect women because ultimately economic reasons are the basic causes for all Well, none of my these problems. friends from the left parties are

sitting over here, but, at least, I am sure, they would have agreed with me when I said that. At least, in this case, definitely, economic criterion is one of the main reasons, which has also caused misery to women, especially in our country.

Well, Mr. Vice-Chairman, now, in the modern day, when women are getting educated and when they are also working, they are also having jobs for themselves, you will also notice that in such families or in such cases these problems are not as serious or as accentuated as they are in more traditional families where women are not employed or where they do not have any source of income. Most of the cases that have come before us are basically traditional families, from backward areas, from backward regions, where women have not had the scope or to get educated to earn themselves. Neither have they been allowed to have any possessions of their own by way of land or by way of buildings or anything else either from the parent's side or from the husband's side. So, technically, what has been given, as far as the Succession Act is concerned, in practical terms, does not work. Therefore. Mr. Vice-Chairman, I think, if we are really interested in bettering the lot of our womenfolk, we must also give them these rights. I think, one of the reasons why this has not been done, could be also that the representation of women has not been substantial in our legislative bodies. I am not saving that men do not care for the rights of women or that they are not bothered about them, once women themselves are there, naturally, they would focus on them, put pressure on their colleagues and impress upon them and on the respective governments to bring about these changes. We have given reservations for women in Panchayats and other local bodies. I think we should also think of giving a certain amount of peservation to women in Assemblies and in Parliament also. Why not in Assemblies and in Parliament also? all, they must also have sense o'i participation in the policymaking bodies of the States and of the Centre. You can provide this only if you give them an opportunity or chance to come and sit in these Houses and to air their views and their feelings to bring about changes not only in matters of property but in many other avenues, for which, I .hink, they would be much more cometent since they themselves have been experiencing all this. We have start ome women representatives who have participated in several liberation movements. They are well-versed with minute problems from different angles. I think our Legislatures and Parliament should not be deprived of their experience and all the work that they have done in these fields. So, Mr. Vice-Chairman House must be happy that Shrimati Veena Verma has focussed this issue by bringing in this Private Member's Bill for discussion in this House. I do hope that the Government will take note of all the poin's raised during the discussion. I think the House will set up a Joint Parliamentary Committee to look into various aspects in regard to this and improve upon the suggestions that have been made over here and see that women, whether they are married or widowed, have a certain amount of say in the daily activity of life and a certain amount of control also.

Now, take the case of widows. Widows are given only half the pension when the busband dies. This has it- avderse effect when the widows are not working. Because of that, their economic condition deteriorates. I think the widow should get full pension, which the husband was getting. That is a matter which should be given serious consideration. But, still I feel that the basic problem lies with the property rights. Once you given her the right in her husband's property. most of the problems dowry deaths of married women will be solved and they will get a certain amount of respectability. For centuries they have been at the receiving end. Therefore, Mr. Vice-Chairman, I would appeal to the Law Minister, the Home Minister and the Government to take this very seriously and come with a comprehensive legislation after taking a serious look at the Bill that has been introduced by Veena Ji. Thank you for giving me an opportunity to express my views on the subject.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश):
उनसभाध्यक्ष जी, विधेयक की
चर्चा के प्रारम्भ में अब तक सी विधेयक सी विधेयक की प्रारम्भ में अब तक सी विधेयक सी विधेयक अपेर जलता दल का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है, जबिक अन्य मसलों पर वह सदन को चलने नहीं देते और यह इतना महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मामला है। मेरा अनुरोध है कि इसको दर्ज कर लिया

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): Mr. Vice-Chiarman, Sir, I express my gratitude to all the hon. Members, who have participated in the debate. I have carefully noted the points made by all the hon. Members, I must also congratulate Shrimati Veena Verma, who has worked very hard. In her speech she has made several points, which have been appreciated by the hon. Members of this House.

The question of emanicipation of women is under debate throughout the world. This question of providing equal rights to woman vis-a-vis man is a very important one. Nobody can dispute this and there can be no controversy on this point. Our founding-fathers have recognised the equality of all citizens, including women. We have allowed protective discrimination under article 15(3) and laws can be made in favour of women also. But the fact remains that whenever a social change is required,

a very forceful movement is required in this direction. Movements have come. succeeded and changes have come. Ours is a multi-ethnic society. There diverse customs. There are various types of cultures in the country. Our system has been governed according to laws. One of the hon, Members mentioned before the 1950's that when Baba Saheb Ambedkar brought the Constitution, he brought equality for women. Then there was a part of the Hindu Code Bill. A strong opposition to within the country was there. As that time, our beloved leader Pandit Jawaharlal Nebru had to work very hard. became a crusader for the rights of women. In most trying and difficult circumstances, political circumstances, he had successfully brought changes in the civil laws of Hindus. We have the Hindu Marriage Act, the Hindu Maintenance Act, the Hindu Succession Act. the Hindu Adoption Act. All these are a part of the Hindu Code Bill. govern the rights of a Hindu man and woman. So, this was a change which came in the way.

Recently, our hon. Shri Rameshwar Thakurji, after a long controvery and a long debate has brought forward the (Amend-Seventy-third Constitutional ment) which contained wide-ranging reforms. For the first time, we have used laws for protective discrimination favour of women by reserving 20 per cent seats in the local bodies. So, India is seeking a perceptible change in the I am happy that all attitude of man. the hon. Members who have spoken from both sides are unanimous that sooner we recognise the fact that women are entitled to equality in all spheres, better it would be and we should take it up in the country's interest. We are all cognizant of one thing that women deserve a much better deal in future. So far whatever has been given is not suffia better cient. They should be given deal. We should all consider ways and means by which we can bring them equal THE RESERVE OF THE PERSON OF T

to men at a particular time. I am not one of those who blame anybody on this because harmony is the way of 4fte. Harmony comes from the mental attitude of a man and a woman. If a man surrenders in favour of a woman, then he does it so for his own harmony. He gets benefited by that harmony. Then, his life would be peaceful, calm quiet. He enjoys his life. Those who are rigid and do not give that type of harmony in the family or in their own life suffer from most of the social evils like dowry deaths, burning of dispute over matrimonial matters because narow-mindedness and t pedvmindedness of the people belonging to the society. This is where we need crusaders. Those who have fought for the rights of women, for the liberation of women, their instances are not lacking. We need a mental attitude first to see that we agree to what Shrimati Verma says should be implemented in totality. There could be no disagreement on this Bill. Actually, when I glance through this Bill, I find that no civilised man can disagree with this Bill because the provisions are such when a woman is living with her father, he is duty-bound as a father or a gardian to protect that woman's interest and so on. And this Bill is about the married woman and her rights. Can anybody deny that she shall have a right to live in the house of her husband, whether owned by him or by his joint family. without seeking judicial separation or divorce from her husband? I do not think anybody will dispute it. But in reality, it is not so because today what you see is, most of the families are suffering because of the lack of the attrtude that she is a woman who has married a man and the man must see to it that she lives comfortably. But it is the mental attitude which does not allow this. When a man feels that his wife should not live peacefully with him. what more norrow-mindedness can there? It is a serious problem we must have to cure. Therefore, I entirely agree that we must give our serious thought to this problem. We should educate our

society. We should bring about changes in our attitude through education, through our concern, the concer of this august House in favour of women. There should be an atmosphere of that kind where she can live peacefully. Actually, what is a marriage meant to be? A marriage is meant to be a meeting of minds, a meeting of the souls of the man and woman concerned, where they agree to share equally whatever sorrow or joys they get in their life. That is what we are taught. But the fact is social attitudes differ and therefore, problems arise (Interruption).

Then, if the first demand is accepted, there is no question of going to second one for a right that she shall, without seeking judicial separation, be entitled to have food, clothing and shelter. What I am submitting is that we should see to it that the second problem does not arise. There should be no separation at all. There should be absolutely no disharmony. And food, clothing and shelter should be her right enshrined in the very fact that she is married to this man. She should be entitled by the very basic fact of her marriage to that man or the family. The husband and the family concerned should be charged with the responsibility that he or, his absence, his family shall have to ensure all these things to her. She will be entitled to an equal share in property. This is one of the things we must ponder over. The debate has to be carried countrywide. Some have done some work on this and some are likely to do this. We want to have a comprehensive sort of law on right we can give to an unmarried woman, what right we can give to a married woman and what right should devolve on a divorced woman or a married woman who has become a widow. Unfortunately, a woman has to underseveral stages under several circumstances. Each of them will have to be taken care of

The problem is actually in our basic attitude. In some part of our country, in

some families, people do not like girls being born in the family at all. approach has to be removed. When a girl is born, they do not feel so happy as they would when a boy is born. Fortunately, with the passage of time, this attitude is vanishing. I am very happy about it. Now, we give the same attention to a boy and a girl so far as education is concerned. And this message must be carried across the country. When a child is born, the dignity of the child and the love for the child should be equal, whether it is a boy or a girl. That message should be carried througrout country. Then, from there onwards, the attitude will change when it comes to the question of education. If you educate your daughter in the same way as you educate your son and give the same attention to your daugher as you give your son, I do not think the woman will remain backward. What happens is, in most of the rural areas, in most of the areas, they do not give that attention to the education of girls and that is where they miss the opportunity. Wherever they have become educated... they have come ur better than men. Their performance is better than men. Their attitude to life is much more serious than men. Therefore, our attitude for the education of our children, particularly the girls, should be much more positive than in the case of boys because they face more challenges. They do not stay at their homes. They have to leave their homes. This is the man nifestation of being a woman that she has to leave and live with her husband. Therefore, she has to be provided more security even at her father's home. Our culture is not that bad as some people have tried to depict it. Our ancient culture says: "God lives there where woman is worshipped." This is a translation of the Sanskrit sloka that where woman is respected, God lives there only. Therefore, our culture preaches like this. But it is due to a change in our attitude that these things have crept into our society and if somebody says:

"ग्रवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ग्रांचल में है दूध ग्रौर ग्रांखों में पानी" But, at the same time, Jai Shankar Prasad has said:

"नारी तुम केवर श्रद्धा हो"

If you read Kamayani, you will find what our culture says.

"विश्वास रजत नग पद तल में "

All these things are mentioned in our Epics. Some hon. Member referred to the Ramayana. But that what Ravana said. But it was not Tulsidas who supported the theory of beating woman. It was Ravana who was considered to be evil. (Interruptions)

AN HON'BLE MEMBER: But he was the wisest man.

SHRI H. R. BHARDWAJ; I do not say so. Your own colleague was saying this. So, what I am submitting is that in our culture, women are worshipped and we would consider all these points which the hon. Member have raised and I assure this House that we will go into all these things immediately. I will constitute a Committee to go into the problem and we will see how soon we can make laws to give equality to woman in the matter of property, in the matter looking of after her children, her access to her children, since been conveyed properly and we will sit together and discuss this-problem so that a better deal is given to them. Thank-you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SU-RESH PACHOURI): Shrimati Veena Vedma. (Interruptions)

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI (West Bengal): Sir, it will be better if the Minister gives an assurance as to by what time it will be done. (Interruptions) What is wrong in it? Sir, would the Minister like to reply?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I have called Shrimati Veena Verma.

SHR'MATI SARALA MAHESHWARI: The Minister should give an assurance at least.

र्श्वामती बीणा वर्माः (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोव्य, मैं म्राज इस सदन श्रीर स्वयं आपकी बहुत श्राभारी हूं कि भ्राज मेरे इस प्राइदेट मैम्बर, विवाहिता महिला ग्रधिकार यंरक्षण विधेयक 1994 जिस पर चार ते वहस जारी थी जिसमें 23 दवतास्रो ने इसमें भाग लिया ग्रीर काफी वक्ताग्रों ने अपने विचार खलेमन से यहां व्यक्त किए, मैं उन सबके प्रति ग्राभार प्रकट करती हं। यह विवेयक 12 अगस्त, 1994 ते शरू हुम्राथा भ्रौर घाज हमारे कानून मंत्री जी ने इसका अवाव दिया, मैं उनका भी श्राभार प्रकट करती हूं। यह ऐतिहासिक दिन ही कहा जायेगा कि पिछले गुक्रवार को भी हमने महिलाओं के विषय में एक प्रस्ताव पास किया। महिलाओं पर बढते हए ऋत्याचारों पर एक प्रस्ताव सर्व-सम्मति से इस सदन ने पास किया ग्रीर यह सदन देश का सर्वोच्च सदन यहां पर जो निर्णय लिए जाते हैं, देश के नीति-निर्धारण में ग्रौर देश की विचारधारा बदलने में सहायक होते हैं। तो में त्राज यह समझती हं कि मेरे इस विधेयक के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर महिलाग्रों में तथा समाज में एक विचाराधारा का उदय ग्रवश्य होगा कि महिलाग्रों को. जो कि उनकी स्थिति हैं--चाहे वह घर में हों. . . . . . . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We started the discussion on this Bill at 2.45. May I take the sense of the House on whether the mover should be allowed to continue her speech on this Bill?

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Yes, she should be allowed. Sir, it is a very good idea from the Chair and we appreciate it. As she has taken the floor, she should complete it today.

श्रीमतो वीणा वर्माः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्रापकी बहुत ग्राभारी हूं कि श्रापने मुझे ग्रतिरिक्त समय दिया। ग्राज इस विधेयक के माध्यम से हमारे वक्ताग्रों ने यह कहा कि सामान्य रूप से इस विधेयक का हम समर्थन करते है। ब्रिधिकतर वक्ताओं ने यह कहा लेकिन यह भी बताया, ऋौर में इस बात को स्वयं भी समझती हूं, कि इसमे काफी किमयां हैं। जो कानूनी रूप से कमियों कि की तरफ ध्यान दिलाया गया, उनको भी म स्वीकार करती हूं और इसको ध्यात मे रखते हुए मैं कहना चाहती हं कि कोई भी समाज जिसमें नर-नारी की समानता न हो; वह समाज या राप्ट्र प्रगति नहीं कर सव ता । हम 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में कदम रखने ही वाल है। कुछ ही वर्ष वाकी है लेकिन आज भी हम देखते हैं कि महिलाग्रों परश्रत्याचार बहुत बड़े स्तरपरजारी है। वैसे तो हमारी संस्कृति, श्रभी मंत्री जी ने कहा मैं भी हमारी संस्कृति, प्राचीत संस्कृति जो हजारों वर्ष से चल रही है, इसकी समर्थक हूं, मैं स्वयं पुरजोर इसकी हिमायत करती हैं। हमारी संस्कृति जो हजारों वर्ष से चल रही है और परिवार जिसमें एक इकाई के रूप में माना जाता है--चाहे वह संयुक्त परिवार हो या छोटा परिवाँर हो--उसको हमें बरकरार रखना है लेकिन परिवार जो पहले संयुक्त रूप में हुआ करते थे श्रौर श्राज जब हम वर्तमान में देखते है तो चाहे वह सामाजिक कारणों से हों या ऋर्षिक कारणों से हों हम छोटे परिवारों की तरफ वढ रहे हैं ग्रौर मंयुक्त परिवार की जो परिभाषा है वह संयुक्त परिवार समाज में दूट रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि नयी परिभाषः नयेकानुन बनाएं जाए ।

SHRI M. A. BABY (Kerala). Madam. may I have a clarification front the Chair? Since she is raising a very improtant issue, we also are equally interested in ii However. there are many issues which other important have relegated time a later been to the necessity to up the Private Members' business. Those are Zero Hour issues. May I have some idea by when we are going to take up those issues? For how long will her speech continue so that we can work out accordingly?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I have already taken the sense of the House and the Mover would be allowed to finish her speech on the Bill. I have already taken the sense of the House.

SHRI M. A. BABY: Roughly how much time will she take?

THE VICE-CHAIRMAN ISHRI SURESH PACHOURI): At the same time, I also requested her to complete it as early as possible.

SHRI M A BABY: Even after 5.00 P.M.?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SU-RESH PACHOURI): Yes

SHRI GOVIND RAM MIRI: What about the Special Mentions, Sir?

श्री विश्णु कांत शास्त्री: : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो शुन्य काल के विषय थे, क्या उन्हें उठाने की ग्राप ग्रमुमति देंगे ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SU-RESH PACHOURI): I will take the sense of the House after she finishes her speech.

SHRI M. A. BABY: That means, up till 5.15 she will continue...(Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SU-RESH PACHOURI): I will take the sense of the House at that time. Mrs. Verma, please continue.

श्रीसती वीणा वर्माः : ग्राध्निक समाज में बढ़ती हुई हिंसा को यदि हम देखें तो चारों तरफ हम हर समय ग्रीर हर समाज में, चाहे वह सदन हो या वाहर, चिन्ता करते हैं कि पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है और अभी कुछ दिन पहले चाइल्ड ऐंड फैमिली वेलफे यर की एक रिपोर्ट ग्रायी थी। उसमें भी माना गया है कि पारिवारिक हिंसा वड़ रही है और उसको खत्म करने के लिए हमें महिलाओं खासकर पत्नियो को ग्रार्थिक रूप से सबल बनाना होगा । सबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पति की सम्पत्ति में उसको ग्रधिकार दिया जाए। गांधी जी ने भी कहा-स्त्रियां समाज में गुलामी की तरह जीवन जी रही हैं । उनको यह पता नहीं होता<sup>,</sup> कि वह गुलामी का जीवन जी रही हैं। स्तियां समाज में ग्राधी श्राबादी का एक हिस्सा है

#### .475 The Married Women (Protection of Rights)

## [श्रीमती वीणा वर्मा]

लेकिन यदि हम उसके अधिकारों की तरफ ध्यान न दें तो ग्राधी ग्राबादी उपेक्षित, शोषित ग्रौर प्रताडित रह जायेगी । मंत्री जीको इस पर ध्यान देना होगा। न्यामुर्ति रानाडे ने भी कहा कि सम्पति में अधिकार देकर हम समानता स्थापित कर सकते हैं। डा० लोहिया जो समाजवादी ग्रौर सुधारक ये तथा वड़े चितक भी थे, उन्होंने कहा कि **ब्रौरतों के दो ही गृह** हैं—-प्रसृति ब्रौर रसोईघर। वहत जरुरी है कि हम महिलाग्रों को बराबरी का ग्रधिकार दें, नारी की स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दें, आधनिक समाज में बहत ज़रूरी हो गया है। देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली में नये संविधान का निर्माण हुआ है जिसमें महिलाश्रों को मानत्रीय अधिकार है या मौलिक ग्रधिकार है। यह पिछले दो सौ वर्षों से विचारधारा शुरू हुई है। उसमें रा**जार** म मोहन राय, गंगाधर तिलक, वि**वेका** ान्द, नेहरूजी, महात्मा गांधी श्रौर मबस प्रिय हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयत्न वरावर रहे हैं। इन्दिरा गांधी हो, कस्तूरबा गांधी हों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने लिया, सरोजनी नायडू हो, श्ररूणा श्राराफग्रली हो, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होने देश की श्राजादी में कंधे से कंधा मिलाकर देश को भ्राजाद कराने में भ्रपना योगदान दिया है श्रौर श्राधुनिक नमाज में महिलाएं वराबर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं ग्रौर राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में अपनी भागेदारी दे रही हैं तो क्या हमारा परिवार जो एक ईकाई हैं उसमें समानता की बात न उठाई जाए यह मुझे एक दहुत बड़ी कमी लगी। इसी कारण इस बिल को लाने का मेरा उद्देश्य था। देखा गया है कि हजारों वर्षों से भ्रौरत श्रर्धांगिनी या गृहस्वामिनी. इक्विल पार्टनर, सौभाग्यवती हम कहते आये हैं । सारा सदन जानता है कि इक्विल पार्टनर का क्या मतलब होता है। छोटा सा भी अगर कोई व्यापार शुरू किया जाता है उसमें एक-एक हजार रुपये लगें, या दो-दो हजार रुपये लगे जब उनमें ग्रापस में झगड़ा हो जाता है तो अपना-अपना हिस्सा ले कर पार्टनर चले जाते हैं लेकिन यहां पत्नी एक ऐसा पार्टनर है जिसका कोई हिस्सा नहीं है लेकिन कहलाती है अर्घागिमी, कहलाती है इनिवल पार्टनर। पी सक्सैशन एक्ट 1956 पास हम्रा था Ø

जिसमें ग्रीरत को बेटी के रूप में पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिया गया। उत्तराधि-कार कानन पास हम्रा । यह है।लेकिन एक ग्रारत तीन स्टेटस होते हैं । जिस घर में **वह** जन्म लेती है उस घर में वह बेटी कहलाती है। शादी के बाद पति के घर में वह पत्नी कहलाती है ग्रौर यदि पति न रहे तो वह बेटे की मां कहलाती है। इन तीनों स्टेटस को अगर देखें तो शुरु से ही औरत को संरक्षण में रखने की हमारे समाज में, हमारी संस्कृति सें परम्परा रही है। यह बहुत ग्रच्छी परनपरा है। लेकिन हमने कितनी मजबती में उस बेटी को उन घरों में दी है ? पिता के घर में बेटी को दूसरे बच्चों के बराबर सम्पत्ति का ब्रधिकार दिया है, जितने भी उनके भाई हैं उनके बराबर का ग्रधिकार इस वेटी को भी दिया गया है लेकिन पति के घर में पत्नी को हमने कोई अधिकार न देकर बहुत बड़ी, मैं तो यह कहंगी न. कमी रख दी वा कहिए संविधान की कभी है। तो यह बड़ा **ग्रन्थाय है। उस घर में ग्रौर**त को श्रधिकार देते हैं, जिस घर में वह जन्म लेती है कि 18 वर्ष तक जब तकवहशादी के काविल नहीं होती, मैरेजबल एक्ट, 🗆 8 वर्ष तक वह उस घर में रह सकती है। घर भें रहने का संविधान ने उस श्रीरत को ग्रधिकार दिया है, सक्सेशन के रूप में **श्र**िकार दिया है। लेकिन वह प्रधिकार भी वह कहां तक ले पाती है यह भी एक प्रश्न ही है। उसका सम्पत्ति में हिस्सा कराने का श्रधिकार नहीं मिला है, या इसका इम्पली-मेंटेशन नहीं हो पाया है। स्रौरत शादी के बाद, एक पवित्र बंधन है लेकिन साथ ही यह एक कानुनी बंधन भी है। कानुन उसको पति के घर में रहने की इजाजत देता है। पति स्वयं उसका हाथ पकड़ कर घर में लाता है ग्रौर कहता है कि यह मेरा घर है, तुन इसमें रहो। मैं तुमको खाना, कपड़ा ग्रीर छत दुंगा। लेकिन इसके पीछे सुरक्षाकी कोई गांरटी नहीं देता कि में सारी जिंदगी यह दंगा। यदि वह निकाल देतो वह कहां जाएगी, ऐसा सोचकर उसको ग्रपनी सुरक्षा का कोई एहुसास नहीं होता कि कब तक निकाल दी जाए। पति उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे स्रो र दरवाजा बंद कर दे तो उसको कोई पता न ही

कि उसे घर में वह रह सकती हैया नहीं श्रौर रहसकती हैतो कब तक रह पाएगी। वह पति को परमेश्वर मानती है। जब तक पति उससे जुश है नब तक वह उसमें रह सकती है, ऋगर खुश नहीं है तो पता नहीं कब वह उसको निकाल दे । पति के घर में उसके अन्दर एक ग्रसुरक्षा की भावना रहती है। पति का घर, जो कि परमेश्वर का घर, एक मंदिर कहलाता है उस घर में वह सौभाग्यवती पत्नी है लेकिन वहां उसको रहने का भी ग्राध-कार नहीं है, सम्पत्ति का अधिकार तो वहत पीछे की बात है। अभी हमने तलाक का कानून पास किया है। पहले ग्रांरत डाइबोर्स नहीं ले सकती थी। ज्याइंट फेमिली ग्रीर पवित बंधन के दारण औरत तलाक नहीं ले सकती थी। लेकिन जब तलाक का कानुन बन गया तो फिर श्रीरत को उस घर में सम्पति को ले जाने या सम्पत्ति के बंटवारे का अधिकार क्यों नहीं दिशा गया ? वह उस घर में त्याग करती है, प्रदनी जवानी देती है, श्रदनी इच्छाम्रों की कुर्वांनी देती है। वहां उसको सिर्फ त्याग ही त्यान करना पड़ता है। तीसरी अवस्था उसके विववा होने पर है। ग्रयने पति की चल ग्रौर ग्रचल संपत्ति में विधवा होने पर बच्चों में बराबर का बंटवारा हो जाता है। इक ग्रीरत अगर यह सोचे कि उसको कोई काम करना हैतो वह सौभाग्यवती औरत जो 🟗 70 स SO साल की है सोचे की मुझ कुछ सम्पत्त लेनी है, अपना मविष्य बनाने के लिए वह कोई उद्योग शुरु करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है तो ग्रगर पति तैयार नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिल सकता है। 60 साल उस पर घर में रहने के बाद क्या वह स्रोरत जो पत्नी है वह वापिस ऋपने पिता के घर में जाए और अपने पिता से कहे कि में यहां की बेटी हूं, मुझ प्रापर्टी का ग्रधिकार है, मैं उसको डिवाइड करवाकर लेना चाहती

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude

श्रीमती वीणा वर्माः उपसभाध्यक्ष महो-दय, मुझे तो अभी इस पर बहुत कुछ कहना था। ऐसा है कि मुझे अपनी बात कहनी है और एक नयी विचार धारा मैं देना चाहती हैं और इसको मैं राष्ट्रीय बहस के रूप में उठाना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि इसमें किमयां हें श्रीर मैंने उसको स्वीकार किया है लेकिन मुझे अपनी जात कहने का अधिकार है और मैं उससाध्यक्ष महोदय में चाहूंगी कि आप मुझे इस पर बोलने की अनुमति है।

श्री संयद सिन्ते रजी: यह बहुत संवेदनशील विषय है। मैं श्रापसे कहना चाहना हू कि श्राप 10-15 मिनट का समय इन्हें श्रीर दे दीजिए। We can give her 10 or 15 minutes more. We can sit for some time more वैसे भी 6 बजे तक बैठने का निर्णय सदन ले चुका है। यह श्रन्याय होगा यदि इन्हें पूरी बान शहने जा मीका न दिया जाए। इनका 10-15 मिनट और मिलने चाहिए।

HE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I have already taken the sense of the House. The sense of the House was that we would complete this discussion today itself. Now, I request her to conclude as early as possible.

श्री संघ प्रिय गौतमः उत्तमभाष्यस महो-दय, एक मिनट में लूंगा। पिछले जुकवार को महिलाश्रों के उत्पीड़न से मंबंधित संकल्प पारित किया था। सम्पत्ति में महिलाश्रों का ग्रिधिकार न होना, यह भी उत्पीड़न का एक कारण है। या तो मंत्रीजी ग्राक्वासन दे दें, केवल इसमें एक पार्ट है जो इनके भाग दो का तीसरा है (व्यवधान) ग्रीर इस विधयक को भी पारित कर दें!

सैयट सिब्ते रजी: गीतम जी व्यवधान कर कर रहे हैं। इनको बोलने का ग्रधिकार नहीं है। मूबर रिप्लाई कर रहा है। (व्यवधान)

سيرسبطرهنى ، گوتم جى ويدوهان كرر به بي -ان كو بولن كادهيكار نبيس به موور سلانى مررابيدى مردور سلانى مررابيدى . . در درابيدى . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पत्नौरी): गौतम जी, आप ग्रपनी बात वोलिये।

<sup>† [ ]</sup> Transliteration in Arabic Script.

श्री सब प्रयगौतम : मैं यह कह रहा हूं कि 13 जीरो आवर में अम हैं और 17 स्पेशल नें अंस हैं अवर्त 30 वोलने वाले है । अगर हम रात के दो वजे तक बैठने की तैयारी में हों, ज्यों कि हमाइ होगा, तब तो आप इनको वोलने वीजिये । टाडा वाला मामला एक ंटा ले गया था, इमलिए 13 जीरा आवर में अस में दो घंटे तो लगेंग । जितने सदस्य हैं, अगर सब यह संकल्प ले कि हम सब बैठेंगे. कोई सदस्य जाएगा नहीं तो उन्हें आप बोलने दीजिये । (स्यवधान) और सदन को राति तब चलाइए ।

श्रीमती बीणावर्मा: मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हं कि हमारा भारतीय संविधान एक औरत को ऐसे घर में अधिकार देता है, चाहे वह उत्तराधिकार कानन के द्वारा हो, ऐसे घर में ग्राधिकार देता है, जिसमें वह सिर्फ ग्रपने ग्रधिकार से 18वर्ष रहने का ग्रधिकार रखती है, वह है पिता का घर । ग्रीरत सब से बड़ी साध उसके सहागिन रहने में है शादी के बाद, उसपरघरमें ग्रौरत का ग्रधिकार क्या है ? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहंगी । म यह जानना चाहुंगी कि उस घर में संविधान उसको अधिकार क्यों नहीं देता, उस घर में जो परमेश्वर का है, जो कानुनी है ग्रीर जहां मप्तपदी पढ कर वह कानन के द्वारा उस घर में लाई गई है ? तीसरा ग्रौरत की ग्रवस्था है यदि विधवा हो जाए, सुहागिन रहने में उसकी सब से बड़ी माध है, क्योंकि ग्रौरत बहुत से वत रखती है, हजारों कुर्वानियां करती है स्हागिन रहने के लिए, औरत का भाग्य कहां है, स्रौरत का सुहाग जहां है वहां पर उसकी **ग्रधिकार** क्यों नहीं है? जिस घर में मरने तक रहेगी, लाश उठाने तक रहेगी, उस घर में संविधान ने अधिकार क्यों नहीं दिया है ? यह एक बहुत बडा अश्व है। मेरी यह कल्पना हैकि उस घर में श्र**ातको** सब से मजबूत बनाया जाए। वह मजबर्ना रूप से उसको बराबरीका ग्रहिकार ह करही दी जा सकती हैं। यदि वह पति के घर मे निकाल दी जाए तो कहां जाए ? क्या पिता के धर वापिस जाए जहां पर फिर से उसका वहत स्वागत नही किया जाएगा । वहां पर दासी वन कर नौकरानी वन कर क्या वह रह पाएगी ? वह जब विधवा हो जाए तो बह अपने बेटे के धर में रहती है ग्रौर उसकी बेटे की, बच्चो की

कोपासनरी पति की सम्पत्ति में हो जाती है। वहांपर भी एक बड़ा प्रश्न है कि यदि उसके पति ने विल न किया हो या विल कर के पत्नी को सम्पत्ति से महरूम कर दिया हो तो फिर उसको वहां पर सम्पत्ति नहीं मिलेगी। अगर विल नहीं की हो तो वच्चा के साथ वह कोपासनरी होती है। वह इक्विल पार्टनर पति की थी लेकिन जब पार्टनर चला गया तब उसको हिस्सामित सकता है जिसमें वह बरावर हिस्सेदार बना ग्रपने बच्चो के सःथ । एव: बहुत बड़ा ग्रन्थाय यह श्रव श्रीरत साचे कि शोपर्टी कैसे ले, कहां ले, कब ले ? क्या बेटी के रूप में 90 साल की सौभाग्यवती बृद्धिया ग्रपने पिता के घर में फिर वापिस मांगने जाए। पति के घर में कोई ग्रधिकार नहीं है। विधवा रूप में स्त्री को अब भारतीय संविधान ने ऋपने नये उत्तराधिकार कानून द्वारा म्रधिकार दे दिया है। तो फिर सवाल यह है कि क्या विधवा होने की कल्पना करे यदि औरत सम्पत्ति चाहे तो । पिता की सम्पत्ति चाहे तो कैसे ले? तलाक होने पर ग्रौरत सम्पति कैसे ले ? हमने तलाक कानून पास कर दिया है। ग्राजकल श्रौरत कितना अत्याचार सहती है लेकिन तलाक नहीं लेती । यही कारण है कि 4, 5, 6 साल की मेहनत के बाद. कीर्टशिप के वाद जब तलाक मिलता है तो उसकी वलाक के नाम पर एक कागज टकडा मिलता है ग्रीर तलाक के बाद ग्रीरत को यदि गुजारा भत्ता भी कोर्ट से स्वीकृत होता है तो 500 रूपए से ज्यादा नहीं मिलता है। 500 रूपए में तो आज एक नौकर भी नहीं आता है सवाल यह है कि ग्रौरत शादी के पविद्य बंधन से बंधकर उस मंदिर में स्राई थी। उस मंदिर में ब्राई थी जहां उसकी स्वीकृति नहीं थी ग्राने की । उस श्रीरत को इतनी स्वतंत्रता भी उसके माता पिता या समाज ने नहीं दी थी कि वह शादी करे, ग्रपना कौन-सा जीवनसाथी चने उस घर में वह आई थी औ उसको सब कुछ न्याग करना था, कुछ-मांगना नहीं था। कुछ मांगने के लिए

हैं ही नहीं । तो फिर सवाल यह है कि श्रीरत सम्पत्ति कैसे ले । अपने आपको उन अत्याचारों से जो कि परिवार में हो रहे है, पति के द्वारा हो रहे हैं उससे कैसे अपने आपको बचाए ? इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस विल पर आप विचार करें और देखें कि किस तरह से श्रीरत को पति के धर में मब्ल वनाया जा सके ।

ग्रब बात उटती है स्त्रीधन की । लेकिन क्या 30-40 वर्ष में औरत का वह स्त्रीधन उस धर में मर-खप नहीं जाएगा, क्या खत्म नहीं हो जाएगा ? कहां में वह उसको बचाकर रखेगी ग्रपनी स्रक्षा के लिए या रामियक भ्राड़े वक्त के लिए ? इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस बिल पर भ्राप विचार करें। यदि भ्रोरत का श्रम भी धर में देखा जाए तो उसका त्याग, तपस्या, सब वृत उसी पारिवारिक इवाई के लिए है, यभी नहीं टूटने के लिए है। ग्राप देखें कि रसोई का नारा काम भौरत करती है। भौरत घर का जितना काम करती है उसके लिए हमको तीन नौकर रखने पड़ते है। एक सर्वे के अनुसार दस वर्ष तक की उम्म तक लड़की जितना धर में काम करती है उसका मल्य यदि हम किसी तरह से लगाएं तो 40,000/- हपए से ज्यादा बनता है। भारतीय स्त्री जो हाउस वाइफ कहलाती है श्रौप़तन 304 दिन या 8.33 वर्ष भ्रपनी रसोई में बिताती है । भ्रौरत की 50 वर्ष की ग्रीर भ्रायु में 16.66 परसेंट वह रसोई में गुजार देती है । इससे पहले, खाना बनाने से पहले का काम और बाद का काम इसमें गिना ही तहीं गया है। इसके अनुसार भी यदि हम देखें, औरत के श्रम को अगर हम गिने तो भी उस अधिकार की वह मालकिन बन सकती है, बननी चाहिए । मुझे और बहत सी बातें कहनी हैं लेकिन उपसभाष्यक्ष महोदय बार-बार धंटी बजा रहे है इसलिए ग्रंत में . . . . .

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir we have raised some important points. The hon. Member has to respond to them. She can respond to our queries, श्रीपती बीणा दर्मा : उपसभाष्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि जो हमारे माननीय यदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए थे, प्रश्न पूछे थे उनका में जजाव नहीं दे पा रही हूं। श्राप श्रगर अनुमित दें तो में एक-एक सदस्य के बिदुश्रों का जवाब दूं ... (व्यवधान)

श्रीसंघ प्रियगौतन : श्रगली बार। ये एक वन्प्रीहेंसिव बिल ला रहे है।

SHRI T. VENKATRAM REDDY (Andhra Pradesh): Sir. tomorrow is our New Year Day and most of us have to catch the late evening flight to go to our place...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I have already taken the sense of the House. (Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): I have been waiting for my Special mention since the last one week.

श्री प्राविश प्रताद मायुर (उत्तर प्रदेश) : वीणा बहिन केवल मुद्दे की बात कह दें। उसमें प्रावरण न चढ़ाएं नो ग्रच्छा होगा।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Every day in the evening the Chair takes the sense of the House. If you take the sense of the House, they will ask you to adjourn the House. This is what is happening during this week.

SHRI M. A. BABY: Today we are not adjourning the House.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Todan we should continue the House till the Zero Hour Mentions and the Special Mentions are over.

श्री ग्रो॰ पी॰ कोहली: उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में तो सारे का सारा हाउस सहमत है, इसमें बहस की कोई खास बात ही नहीं है। सारा हाउस सहमत है।...(ब्यवधान)

ि उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए, वीणा वर्मा जी ।...(व्यवधान)

श्रीमती बीणा धर्माः उपसभाध्यक्ष महोदय, इतने गंभीर विषय पर मैं चाहती थी कि एक-एक गंभीर मृद्दे पर मैं रिप्लायी करती या मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती लेकिन जैसा सदन .... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHEI SURESH PACHOURI): Mrs. Veena Verma, you have already taken 31 minutes, I request you to wind up your speech as soon as possible.

श्रीमती बीणा वर्माः जी। मैं सिर्फ यह कहंगी कि औरत के स्वाभिमान के लिए, भौरत को भाषिक स्वतंत्रता भौर समानता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि पति की संपत्ति में पत्नी को शादी के दिन से ग्राधा ग्रधिकार चल-ग्रचल संपत्ति में उसका स्वीकार किया जाए, क्योंकि श्रौरत भी श्रपने स्वाभिमान से कह सके कि उसका भी पति, यदि पूरुष ग्रपने स्वाभिमान से कह सकता है कि उसका अर्न कुछ है तो श्रीरत का भी कुछ श्रीजित हो, ऐसा **अहत अरुरी है और धोरत के पास** तो कोई अजित प्रापर्टी नहीं होती । वैसे मैं यह चाहंगी कि मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में दिनांक 10-12-91 को श्रनस्टाई में कहा था, यही उसी ५र मैंने प्रश्न पृष्ठा था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा सरकार के पास कोई प्रोपोजल नहीं है जिसमें कि पति की संपत्ति में उसके **जी**ते जी पत्नी के श्रधिकार पर विचार करे। मैं सदन के माध्यम से श्राज श्रपील करना चाहंगी कि इस पर विचार करें **ग्रौर ग्रा**श्वासन दें क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी स्रभी ऐसे कुछ ग्राश्वासन दिए हैं श्रीर हमारे हिन्दुस्तान के कई राज्यों में कर्नाटक को तो मैं जानती हूं, उसमें पत्नी की पूर्ण रूप से श्रधिकार है पति की **सं**पत्ति में तो इस पर विचार किया जाए श्रौर जत्द ही कोई उच्च ग्रधिकार प्र'**प्त** समिति महिला सांसदों की और पुम्ख सांसदों दी, दोनों की ग्राप बनाएं जिस्**में** महिला कमीणन की मदद लेते हुए और उसमें एवरजीरओज़र के भी सदस्य ही श्रीर पूरे राज्यों में क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत रा राज्य हैं ग्रीर ग्रलग-अलग राज्यों के कान्त हैं तो इस पर एक गंभीर स्टडी वारवाई जाए ग्रौर मंत्री जी श्राप उसका एक समय निर्धारित कर दें कि दो वर्ष के श्रंदर ऐसी हाई पवर्ड कमेटी भ्रपनी िपोर्ट दे श्रौर उसके बाद सरकार गंभीरता 🗟 इस पर एक पूर्ण बिल लाए जो कि सर्वसम्मित से पास किया जाए । इसके आगे मैं यह वहंगी कि डी०डी०ए० मकान वर्ष रह जो होते हैं यह राजि दी की जाती है उसमें भी श्रीर जो प्रोविडेंट फंड हो पति का, ग्रेच्युटी फंड हो उसमें भी सब जगह पत्नी का नाम जोडना ग्रावश्यक बनाया जाए। अभी मांग उठी कि पत्नी को सिर्फ सम्पत्ति में ही ग्रधिकार नहीं, ग्रारकण की भी मांग करनी चाहिए । मैंने भ्रपने एक गैं-सरकारी बिल मैं महिलाओं के लिए नौकरियों में लोक सभा भ्रौर राज्य सभा तथा विधान सभा में भी ग्रारक्षण की मांग की है, इस पर भी विचार किया जाए । साथ ही, भौरत को बेटी के रूप में पिता के घर में, पत्नी के रूप से पति के घर में ग्रीर यदि विधवा हो तो उसको बेटे के घर में या पति की संपत्ति तीनों जगह उसको अधिकार दिया जाए जिससे कि ग्राधिक समानता हम ला सकें। यदि यह भी नहीं तो फिर महादेवी वर्गा के गब्दों में मैं यह कहंगी :

"मैं नीर भरी **दुख की बदली** अम्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी श्रपना होना परिचय इतना, इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट श्राज चली।" धन-वार ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Smt. Verma, are you withdrawing your Bill? Otherwise, I will have to put it to vote.

श्रीमती वीणा वर्मा: सर, मंत्रीजी ने श्राश्वासन दिया है श्रीर श्राप सीकार कर चुके हैं कि जल्दी ही एक उच्च-प्रधिकार प्राप्त संसद सदस्यों की समिति बनाकर इस बारे में सर्वे कराया जाए। तो इस श्राश्वासन के साथ कि सरकार इस विषय मे गंभीरतापूर्वक विचार कर एक संपूर्ण विल लाए जिससे कि महिलाओं को सही रुप में ग्राधिक सफलता दी जा सके और उनके साम।जिक स्टेटस सधरे । इस पर सदन सहमत है और में भी इसे ग्राश्वासन के साथ कि मंत्री जी जल्दी ही कमेटी का गठन करके इस बारे में बिल लाएंगे. में भ्रपना बिल वापिस लेती The Bill was, by leave withdrawn.

SHRI T. VENKATRAM REDDY: Sir, please adjourn the House. (Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No. For the last one week, we have been (Interruptions)

SHRI M. A. BABY: If some Members want to go, they can go. (Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: E anybody wants to go home, he can go. (Interruptions). We are not objecting If they want to go, they are at liberty to do so. They can go...(Interruptions)

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो सदस्य जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन सदन चलते रहना चाहिए।

SHRI M. A. BABY: Sir, even if I am alone in the House, I want to raise the issue for which I have been permitted by the Chair (Interruptions):

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If want, you can speak first and go. (Interruptions) Mr. Vice-Chairman. Sir, if anybody wants to go home. let him...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We have 13 speakers for the Zero Hour Mentions and 17 for the Special Mentions (Interruptions)

SHRI M. A. BABY Sir, all those should be taken up. All those are important issues (Interruptions) if some Members do not want to raise those issues for which they have given notice, they are at liberty to do so. I have been permitted to raise an issue during the Zero Hour and I stand by that. I want to raise it. Similarly, there are many other Members..(Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Vice-Chairman, Sir, some of the Members may not be here. There may be very few Members who will speak. Also, if anybody wants to go home and if he has any issue for the Zero Hour...(Interruptions)...we don't object.

SHRI GOVINDRAM MIRI: No. Special Mentions should be taken up first. (Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VILUMBI: We have co-operated yesterday on the understanding that you will allow us today. The Appropriation Bills and the Vote-on-Account Bills were passed on the understanding that we would be allowed today.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, the Special Mentions should be taken up first. (Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No, no. This is breach of faith. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please be seated. (Interruptions).

SHRI M. A. BABY: I had to reave for Chandigarh. But I have-cancelled that only to raise this issue. (Interruptions)

श्री श्रो० पी० कोटली: उपमधाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हैं कि पहले स्पेशल मेंन्शन ले लिए जाएं, जीरो श्रवर बाद में लिया जाए क्योंकि स्पेशल मेंन्शन में कोई झगड़ा नहीं है जबकि जीरो श्रवर में झगड़ा हो जाता है। SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, yesterday we had co-operated with them. Today, they should co-operate with us. This is not proper. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Till what time should we continue the Zero Hour and the Special Mentions? (Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, the Chair itself has announced this in the Hous?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): It was de ided that we will sit up to 6 Ö'clock.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We are prepared to sit even up to 12 O' clock. (Interruptions)

SHRI M. A. BABY: Sir, one thing is very sure, that the House cannot be taken for a ride by some section of the House. The Chair should understand that we had co-operated with the Treasury Benches to pass five Appropriation Bills without any discussion. (Interruptions) We had co-operated yesterday. (Interruptions) Can I have your attention. Sir (Interruptions)

श्री आगीर सिंह "टर्ने": (पंजाब) : उपसभाष्ट्राक्ष महोदय, मैं भी यही वित्ती करना चाहता हूं कि हाउस एडर्जीन कर दिया जाए।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir. by this time the Special Mentions would have been over...(Interruptions)...

SHRI M. A. BABY: Please take up

the Zero Hour Mentions...(Interruptions).... SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, don't adjourn the House...(Interruptions)...

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Sir, Mr. Baby is a very senior Member of this House. He has said that the House should not be taken for a ride. Definitely, nobody is taking the House for a ride. We agree that in the Business Advisory Committee it was decided that Special Mentions will be taken up. Now, the Chair has given a ruling that the Zero Hour Mentions will also be taken up at 5.00 P.M. The normal practice is that the Zero Hour is for a certain period. Even generally, we don't take up the Zero Hour in the afternoon session. There should be a limit for the Zero Hour. How the Zero Hour developed into a particular situation and what happened in itself, everybody the House today knows that. But, as it was decided in the BAC, we also agree that at least up to 6 o'clock, we should try to finish the business. Now, it is up to the hon. Members to decide how we can finish the business in half-anhour. Sir, a few of our Members who come from Andhra Pradesh and who belong to both sides of the House have to catch their flight because Year Day is their New tomorrow. So. celebrated have to keep in mind the sentiments and emotions of both sides of the House. We have not scuttled anynever thing. We have tried like that. But we have to keen in mind the emotions and sentiments of both the sides. Sir, you yourself decide what the very important points are in the Zero Hour Mentions in the Special Mentions and they should be taken up immediately. Still we have half-an-hour with us and we should decide the business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Okay, we shall now take up the Zero Hour Mentions

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, only one person may be allowed to speak on a particular point in the Zero Hour.

जिनका जीरो आवर है, उन सदस्यों में एक आदनी आर बोक्ता है तो जस्बो खतन हो जाएगा। इनित्र जिनका पहना नाम है, उने बोजो बोजिए।...(स्थनआर)

श्री संघ प्रिय गौतमः उपाध्यक्ष महोदयः सबको बोलना है अपना श्रपन। स्पेशल मेंशन, किसी सदस्य के साथ डिसिकिनिनेशन न हो । चाहे 7 बजे या 8 बजे, सबको मौका मिलना चाहिए ।...

उपसमाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्री विष्णु कान्त शास्त्री ।

# RE: ACTIVITIES OF HURRIYAT LEADERS

श्री विष्णुकान्त पाल्लीः (उत्तरप्रदेश)ः उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापका बहुत ग्राभारो हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्त्रपूर्ण विषय पर बोलने का ग्रवसर दिया । ग्नापको ग्रौर सारे **दे**श को स्पष्ट ही है कि पाकिस्तान के ग्रामंत्रण पर हरियत कांन्फ्रेन्स के जो नेता यहां आए, उन्होंने किस प्रकार भारत के बिरुद्ध विष वमन किया । यह बताया गया कि वह निजा। मस्तफा कायम करने के लिए कश्मीर में जेहाद कर रहे हैं और यह भी कहा गया कि सारी दुनियां के मुसलवान उनका समर्थन करें। सारे मुस्लिम देशों से उन्होंने यह अगील की कि वे इन जेहाद में उनका समर्थन करें । उन्होंने कहा कि चुकि हिन्द्रस्तान में मुनलमान अत्याचारित हैं, इसलिए हिन्दुस्तानी मुयलयानी से भ्रपील नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की श्राजादी के लिए भारत के खिलाफ हम लडाई करते रहे हैं। उन्होंने यह भी बताबा कि वह विदेश जाना चाह्ते हैं।

महोदय, हमें यह भी मालून था कि अंग्रेज राजनियकों के कुचक के अनुआर नेपाल में 11 से 14 अर्जन तक वह एक सभा करने जा रहे थे पाकिस्तान के सहयोग से । यह तो खुशी की बात है कि हमारी सरकार के विरोध करने परनेपाल ने उसको स्थगित कर विया, लेकिन ग्रभी हरियत के कुछ नेता सऊदी अरबिया जी रहे हैं। मैं ग्रापते यह जातना चाहता हूं कि क्या हमारी कोई स्थाई नीति है इसे विषय में ? मैं ग्रापसे यह जानना चाहत। हं कि जिस हरियत कांन्फ्रेन्स के नेताओं ने च ार-ए-शरीफ को मुक्त करने के लिए बारे कश्मीरियों से यह अपील की है कि वह वहां सार्च करें, क्या उनको वेतहाशा ग्रिधिकार दे सकते हैं कि हिन्दुस्तान के खिलाफ वह जो चाहे बोलें सारी दनियां के मुस्लिम देशों में और दूसरे देशों में हमारे प्रति श्रपमान को इस सीमा तक ले जाएं? मैं जानना चाहता हूं कि ग्राखिर हमारी कोई स्थाई नीति है या नहीं ?

महोदय, हमने दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पास किया था कि कश्मीर के संदर्भ में एक ही बात विचार करने योग्य रह गई है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो अंग दबा रखा है वह कैसे स्वतंत्र होगा, वह कैत स्वाधीन भारत का श्रविभाज्य ग्रंग रहेगा । यही एक गंभीर समस्या दाकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है, हमारे दोनों सदनों ने यह बात कही है फिर कैते इन हरियत के नेताओं को इस तरह गैर-जिम्नेदार ग्रौर देशद्रोहिता से भरी बातें कहने का श्रधिकार देते हैं ? में सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के ऊपर दवाव डाला जाए कि इन लोगों को विदेश जाने का पुनः ग्रवसर न दिया जाए क्योंकि एक बार वह विदेश गए और उन्होंने केवल भारत विरोधी नीतियां कीं। मुझे बताया गया है कि सऊदी श्ररव से इन्होंने बहुत ग्रथं-सहायता ली है, मैं जानना चाहना हं कि उस अर्थ-राशि का क्या हुत्रा ? जो लोग भारतवर्ष को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर को भारत से ग्रलगकरना चाहते हैं, उनते बात न की जाए, यह फारुख अब्दुल्ला ने भी कहा है। फारुख प्रब्दुल्ला के इस विचार पर भी हमको अपनो प्रसन्नता ग्रौर सहमति प्रकट करनी चाहिए और हुरियत कांफ्रेस के उन नेताओं को बिल्कुल कोई ऐसा भ्रधिकार नहीं देना